कानपुर नगर निगम

मा0 नगर निगम (सदन) की सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 19.07.14 (शनिवार)

पूर्वान्ह 11–00 बजे

स्थानः नगर निगम सदन सभागार, मोतीझील, कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी / 80 / सचिव (न.नि.) / 14–15

दिनांक : 02.08.2014

सेवामें

मा0 श्री / श्रीमती / सुश्री.....,

पार्षद वार्ड सं0..... / नाम निर्दिष्ट सदस्य / पदेन सदस्य,
नगर निगम, कानपुर।

महोदय / महोदया,

नगर निगम (सदन) की दिनांक 19.07.14 दिन शनिवार पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 1 से 63 तक।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक–19-07-2014 दिन शनिवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

श्री जगत वीर सिंह द्रोण	**महापौर/अध्यक्ष**	श्री हरिश्चन्द्र	पार्षद/सदस्य
श्री मदन लाल	पार्षद/सदस्य	श्री योगेन्द्र कुमार	पार्षद/सदस्य
श्रीमती लाली गुप्ता	पार्षद/सदस्य	श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद/सदस्य
श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि	पार्षद/सदस्य	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रीना साहू	पार्षद/सदस्य	श्रीमती शशि सुरेन्द्र जायसवाल	पार्षद/सदस्य
श्री बीरबल सिंह	पार्षद/सदस्य	श्री राजेन्द्र प्रताप कटियार	पार्षद/सदस्य
श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	श्री आदित्य शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्रीमती बीना	पार्षद/सदस्य	श्रीमती रामजानकी यादव	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू''	पार्षद/सदस्य	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्री संजीत सिंह कुशवाहा	पार्षद/सदस्य	श्रीमती उत्तम दुबे	पार्षद/सदस्य
श्री अतुल त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	श्री रामकुमार पाल	पार्षद/सदस्य
श्री सुमित कुमार सरोज	पार्षद/सदस्य	श्रीमती रश्मि शाह	पार्षद/सदस्य
सुश्री नमिता कनौजिया	पार्षद/सदस्य	श्री चेतन सिंह	पार्षद/सदस्य
श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य	श्री आबिद अली	पार्षद/सदस्य
श्रीमती पुष्पा देवी	पार्षद/सदस्य	श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद/सदस्य
श्री बाबूराम सोनकर	पार्षद/सदस्य	श्री सलीम बेग	पार्षद/सदस्य
श्री संजय लाल बाथम	पार्षद/सदस्य	श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य

श्री संजय यादव	पार्षद/सदस्य	श्री आदर्श दीक्षित	पार्षद/सदस्य
श्री अशोक चन्द्र तिवारी	पार्षद/सदस्य	श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्रीमती पूनम राजपूत	पार्षद/सदस्य	श्री मनोज यादव	पार्षद/सदस्य
श्री राज किशोर	पार्षद/सदस्य	श्री राकेश साहू	पार्षद/सदस्य
श्री कौशल कुमार मिश्रा	पार्षद/सदस्य	श्री नवीन पण्डित	पार्षद/सदस्य
श्री विप्लव भट्टाचार्य	पार्षद/सदस्य	श्री मनीष शर्मा	पार्षद/सदस्य
श्री लक्ष्मी शंकर राजपूत	पार्षद/सदस्य	श्री धर्मनाथ मिश्रा	पार्षद/सदस्य
श्री कमल शुक्ल ''बेबी''	पार्षद/सदस्य	श्रीमती नीलम चौरसिया	पार्षद/सदस्य
श्री अब्दुल कलाम	पार्षद/सदस्य	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद/सदस्य
श्री आलोक दुबे	पार्षद/सदस्य	श्री संदीप जायसवाल	पार्षद/सदस्य
श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद/सदस्य	श्री जितेन्द्र कुमार सचान	पार्षद/सदस्य
श्रीमती गीता जायसवाल	पार्षद/सदस्य	श्रीमती आशा सिंह	पार्षद/सदस्य
डॉ0 आलोक शुक्ला	पार्षद/सदस्य	श्रीमती परमजीत कौर	पार्षद/सदस्य
श्री रामौतार प्रजापति	पार्षद/सदस्य	श्री पंकज सचान	पार्षद/सदस्य
श्रीमती सन्नों कुशवाहा	पार्षद/सदस्य	श्री सारिया	पार्षद/सदस्य
डा0 नीना अवस्थी	पार्षद/सदस्य	श्रीमती जरीना खातून	पार्षद/सदस्य
श्री सुरजीत सचान	पार्षद/सदस्य	श्री कमलेश	पार्षद/सदस्य
श्री राजेश कुमार सिंह	पार्षद/सदस्य	श्रीमती रानू बाजपेई	पार्षद/सदस्य
श्रीमती सरोजनी यादव	पार्षद/सदस्य	श्री सत्येन्द्र मिश्रा	पार्षद/सदस्य
श्री विनय अग्रवाल	पार्षद/सदस्य	श्रीमती रीता शास्त्री	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द नाथ शुक्ला	पार्षद/सदस्य	श्रीमती राज किशोरी पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्री मो0 शमीम आजाद	पार्षद/सदस्य	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	पार्षद/सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा 'योगी'	पार्षद/सदस्य	श्रीमती प्रवेश कुमारी	पार्षद/सदस्य

श्री अब्दुल जब्बार	पार्षद/सदस्य
श्रीमती जानकी वर्मा	पार्षद/सदस्य
श्री मो0 आरिफ	पार्षद/सदस्य
श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बबलू'	पार्षद/सदस्य
श्री आमोद	पार्षद/सदस्य
श्री अशोक कुमार दीक्षित	पार्षद/सदस्य
श्री हाजी सुहैल अहमद	पार्षद/सदस्य
श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद/सदस्य
श्री मो0 इरफान खान	पार्षद/सदस्य
श्री रमापत झुनझुनवाला	पार्षद/सदस्य
श्री मो0 वसी	पार्षद/सदस्य

नाम निर्दिष्ट सदस्य

श्री शैलेन्द्र मिश्रा
श्री अब्दुल वासिद
श्री शशीभाल शुक्ला
श्री मुन्सिफ अली रिजवी
श्री हर्ष विक्रम सिंह
श्री चन्द शेखर यादव
मो0 आकिल सिद्दीकी

पदेन सदस्य

श्री सतीश कुमार निगम	सदस्य विधान सभा
श्री सलिल विश्नोई	सदस्य विधान सभा

अधिकारी गण

श्री उमेश प्रताप सिंह	नगर आयुक्त
श्री विनोद कुमार गुप्ता	प्रभारी अपर नगर आयुक्त
श्री डी0 के0 गुप्ता	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
श्री तरूण कुमार शर्मा	मुख्य अभियन्ता
डा0 पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
श्री आर0एम0अस्थाना	मुख्य अभियंता वि0/यॉ0
श्री राजीव बाजपेई	महाप्रबन्धक जलकल

वन्देमातरम् गायन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि आप लोगों ने सदन की बैठक के विलम्ब होने के सम्बन्ध में मुझसे मिलकर शिकायत की है, उसके सम्बन्ध में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विगत 10 सितम्बर, 2013 को सदन की बैठक सम्पन्न हुई थी, तत्पश्चात् कतिपय कारणों से सदन बुलाने में विलम्ब हुआ है, जिसमें लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता तथा नगर आयुक्त का समय–समय पर

ह0.....महापौर

स्थानान्तरित होना है। तत्कालीन नगर आयुक्त श्री एन.के.सिंह चौहान द्वारा जिस प्रकार समस्त अधिकारियों से संवाद स्थापित करते हुये समस्याओं का निस्तारण कराया जाता रहा है, तद्नुरूप आशा करता हूँ कि नवागन्तुक नगर आयुक्त भी उसी प्रकार यथासम्भव आप सभी की समस्याओं का निस्तारण करायेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रताप कटियार ने कहा कि नगर निगम में मार्गप्रकाश के घोटाले पर चर्चा करायी जाये साथ ही तत्कालीन नगर आयुक्त श्री डी.के.सिंह ने कहा था कि नगर निगम में धन की कोई कमी नही है पार्षदों के क्षेत्र में प्रेषित प्रस्तावों पर कार्य कराये जायेंगे, जबकि वर्तमान में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि नगर निगम का खजाना खाली है, इसको भी स्पष्ट किया जाये कि किन कारणों से नगर निगम का खजाना खाली हुआ।

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने सदन में यथोचित शिष्टाचार व्यक्त करते हुये श्री कटियार की बात का समर्थन किया और कहा कि 11 माह के पश्चात् सदन की बैठक आहूत की गई है। कानपुर महानगर 50 लाख की आबादी वाला शहर है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक नगर निगम की विशेष भूमिका रहती है। चौथी बार निर्वाचित होकर आया हूँ, संज्ञान में आया है कि इसके पूर्व नगर आयुक्त भुगतान करके चले गये, जिससे नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। एटूजेड का करोड़ों का भुगतान कर दिया जाता है परन्तु इसकी भनक तक नही लगती। जलकल नगर निगम का जो बजट कार्यसूची में प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह प्राविधानित नही किया गया है कि कितने हैण्डपम्प अधिष्ठापित होगें और कितने रिबोर होंगे। कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित 12 सदस्यो द्वारा ई–टेंडरिंग को निरस्त करने वाले प्रस्ताव को किन कारणों से अब रू0 07.00 लाख की धनराशि के नीचे के कार्यो को पूर्व की भाँति सामान्य निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कराये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया है। इससे तो स्पष्ट होता है कि ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के लिये ऐसा किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि रू0 01.00 लाख तक की धनराशि के कार्यो को जोनल अधिकारियों को स्वीकृत करने हेतु अधिकृत कर दिया जाये तथा इस धनराशि से अधिक के कार्यो को ई–टेंडरिंग के माध्यम से ही कराया जाये। विज्ञापन विभाग के बाबू 25 लाख की गाड़ी से चल रहे है, पूरे शहर में अवैध होर्डिंग्स लगी है, इसकी भी जाँच कराई जाये, यदि सही ढंग से विज्ञापन पटों से वसूली की जाये तो नगर निगम में अत्यधिक आय की वृद्धि होगी। बजट की प्रति पार्षदों को नही भेजी जाती है। रू0 400 करोड़ की धनराशि का बजट में जो अन्तर दिखाया गया है, उसको भी स्पष्ट किया जाये। एटूजेड को नगर निगम के 166 वाहन दिये गये थे, जो वर्तमान में मात्र 03 जे.सी.बी. और 08 लोडर अवशेष है। जिला प्रशासन द्वारा कहा गया था कि 30 जून के बाद उ0प्र0 जिल निगम द्वारा सड़कों की कटिंग नही की जायेगी, जो बदस्तूर

ह0.....महापौर

जारी है। मेरे वार्ड में एक अपार्टमेन्ट के पास लाईन खोद कर डाल दिया गया है। नगर निगम में चारों तरफ अनियमितितायें व्याप्त है। नकल विभाग में 87–92 के बाद से रिकार्ड नही मिल रहा है, जबकि मुख्यालय में हर खण्ड का रिकार्ड होना चाहिये। किसी भी निधि से कार्य प्रस्तावित हो, कार्य पूर्ण होने पर पार्षदों से पत्र लिया जाना अनिवार्य किया जाये। सड़कों का निर्माण तभी प्रस्तावित किया जाये, जब नालियाँ प्राविधानित हो। बरसात के दृष्टिगत कन्ट्रोल रूम को मजबूत किया जाये, जिससे क्षेत्रों में किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके।

श्री सतीश कुमार निगम, विधायक ने कहा कि अभी विगत दिन थोड़ी सी बरसात होने पर चारों तरफ शहर जलमग्न हो गया, इससे स्पष्ट होता है कि नाला सफाई में कोताही बरती गई है। अतः नाला सफाई की जाँच हेतु क्षेत्रीय पार्षद के साथ एक कमेटी बना दी जाये तथा जो दोषी मिले उस पर कार्यवाही की जाये और सम्बन्धित ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जाये। नाला सफाई से निकली सिल्ट को समय से न उठाये जाने के कारण पुनः सिल्ट नाले में चली जाती है, जिससे नाला पुनः सिल्ट से भर जाता है। सड़क निर्माण के पूर्व नाली बनाई जाये। पूर्व की निर्मित सड़कें 05 वर्ष चलती थी, जबकि वर्तमान में निर्मित हो रही सड़कें 06 माह में ही टूट जाती है। अंग्रेजों की बनाई बिरहाना रोड इत्यादि जगहों की सडकें आज भी चल रही है। अतः निर्माण में गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहियें। इंटरलॉकिंग टाइल्स की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। कूड़ा उठान की व्यवस्था हेतु एटूजेड को सख्त निर्देश जारी किये जाये। शहर की जनता सामान्य कर अदा कर रही है, अतः मूलभूत सुविधायें प्राप्त करना उसका अधिकार है। नगर निगम द्वारा 66, 93 तथा 37 सड़कों के निर्माण के व्ययानुमान उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये गये थे, जो स्वीकृत होकर अग्रिम कार्यवाही हेतु वापस भेजे जा चुके है। मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि शहर की भलाई हेतु जहाँ बात उठानी होगी, उठाऊँगा। सड़कों की हो रही खुदाई के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूँ कि विभागीय सामान्जस्य स्थापित किया जाये, जिससे सड़क निर्मित होने के तुरन्त बाद उसे खोदने से बचाया जा सके। मार्गप्रकाश विभाग के कई क्षेत्रों में खम्भे नही है, कहीं मार्गप्रकाश बिन्दु नही चालू है, इसकी समुचित व्यवस्था की जाये। जोनल अधिकारी क्षेत्रीय भ्रमण करें, जिससे समस्याओं का त्वरित निस्तारण समय से हो सके। इसी के साथ सदन की बैठक में वक्तव्य देने हेतु अध्यक्ष महोदय ने जो समय दिया है, उसके लिये आभार प्रकट करता हूँ।

श्री राजेश सिंह ''पप्पी'' ने कहा कि सदन की बैठक में उ0प्र0 जल निगम के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये जिससे उनकी जवाबदेही तय की जा सके।

ह0.....महापौर

श्री गिरीश चन्द्र ने कहा कि पर्यावरण के प्रति ध्यान रखते हुये पार्को में वृक्षरोपण कराते हुये विकास कराया जाये, साथ ही बुजुर्गो के टहलने हेतु पाथवे/बेंच इत्यादि का निर्माण कराया जाये। मेरे वार्ड में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में जलकल विभाग को कई बार अवगत कराया गया परन्तु कोई ध्यान नही दिया गया। पूर्व में प्रत्येक वार्ड में दो हैण्डपम्प लगाने एवं चार हैण्डपम्प रिबोर करने के आदेश किये गये थे, परन्तु उसका भी अनुपालन नही किया गया। सड़कें खराब है, उनके निर्माण हेतु कहने पर जवाब दिया जाता है कि धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे वार्ड की सड़कें एवं गलियाँ ठीक कराई जाये।

मो0 शमीम आजाद ने समाचार पत्र की कतरन लहराते हुये अपने क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में अध्यक्ष के आसन के समीप आने की कोशिश की, जिस पर सभागार में शोर प्रारम्भ हो गया। अध्यक्ष ने स्पष्ट करते हुये कहा कि आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि बार–बार सदन की बैठक विलम्ब से बुलाये जाने को कहा जा रहा है, जबकि तत्कालीन नगर आयुक्त को 26 जनवरी, 2014 से पूर्व सदन बैठक बुलाये जाने हेतु कई बार पत्र भी प्रेषित किये गये, कई बार मौखिक भी आग्रह किया गया परन्तु उनकी अनुपलब्धता के कारण सदन की बैठक आहूत नही की जा सकी। भविष्य में सदन/कार्यकारिणी समिति की नियमित बैठक बुलाने हेतु आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ।

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने कहा कि तत्कालीन नगर आयुक्त श्री आर.एन.बाजपेई जिलाधिकारी की बैठक में जाने हेतु कार्यकारिणी समिति की चल रही बैठक को छोड़कर चले गये थे, कृपया इसके सम्बन्ध में भी आश्वस्त हो लिया जाये क्योंकि भविष्य में भी ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है।

श्री अतुल त्रिपाठी ने कहा कि कानपुर शहर की समस्याओं को ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें पारिवारिक कार्यक्रमों मुण्डन, विवाह के अवसरों पर किन्नरों द्वारा पूरे शहर में आतंक फैलाया जाता है, जबकि नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–444 पृष्ठ संख्या–231 में अंकित है कि कोई भी किसी प्रकार नेग/दान हेतु जबरजस्ती नही कर सकता है। कानपुर महानगर में अंतिम संस्कार के समय जिस प्रकार पंडों की मनमानी के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित की गई है, उसी के अनुरूप अनुरोध है कि इस पर भी कोई नीति निर्धारित कर दी जाये। इस प्रकार की व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर भविष्य में सदन को मुबारकबाद दी जायेगी। विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मा0 विधायक को शासन द्वारा रू0 2.00 करोड़ की विधायक निधि प्राविधानित है, जिससे कार्य न कराकर अपने व्यक्तित्व या सत्ता के प्रभाव से मा0 विधायक दबाव बनाकर नगर निगम निधि पर गिद्ध दृष्टि लगाये बैठे रहते है। इसके विपरीत नगर

निगम निधि में प्रत्येक पार्षद का अधिकार है परन्तु वह एक–एक सी.एफ.एल. या सड़क/पार्क निर्माण के लिये अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहते है, यहाँ तक की मा0 महापौर जी आप द्वारा निर्देशित कार्यो को भी नही कराया जाता है।

इस वक्तव्य से समाजवादी पार्टी के पार्षदों द्वारा प्रतिकार व्यक्त करते हुये श्री अतुल त्रिपाठी का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप अध्यक्ष ने सभी को शांत करते हुये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। कृपया इनकी बात शालीनता के साथ सुनें तथा अपनी बारी आने पर अपने विचार व्यक्त करें।

पुनः श्री अतुल त्रिपाठी ने अपनी बात बढ़ाते हुये कहा कि नगर निगम निधि से कार्य कराया जाना अच्छी बात है, परन्तु मा0 विधायक के कार्यो की पूर्णतः पर पत्थर में मा0 महापौर व क्षेत्रीय पार्षद का नाम न लिखवा कर क्षेत्र के किसी कतिपय व्यक्ति का नाम लिखवाया जाता है, जो असहनीय है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्षद 24 घंटे अपने क्षेत्र के कार्यो की निगरानी रखता है जबकि विधायक द्वारा सिर्फ कार्य प्रस्तावित किया जाता है। कार्य की पूर्णतः पर क्षेत्रीय पार्षद का पत्र लिया जाये, चाहे कार्य किसी भी निधि से प्रस्तावित किया गया हो। पूर्व में वर्क आर्डर में कार्य समय प्रारम्भ एवं समाप्त करने की व्यवस्था दी गई थी परन्तु कार्य समय से समाप्त नही किया जाता है। कई कार्य ऐसे है, जिनकी पूर्णतः की तिथि 30 मई, 2014 है, जो आज तक पूर्ण नही हुये है।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि नगर निगम को सामान्य कर की वसूली के माध्यम से सशख्त करने हेतु नगर निगम ने बढ़ाये चार कदम। अध्यक्ष महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2012 में उ0प्र0 शासन के निर्देशों के क्रम में सामान्य कर में वृद्धि की गई तथा तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया था कि कानपुर नगर के भवन स्वामियों के भवन कर में दो वर्ष तक कोई वृद्धि प्रस्तावित नही की जायेगी, जबकि क्षेत्रीय जनता द्वारा संज्ञान में आया है कि चार फार्म प्रत्येक भवन स्वामियों को बिल की भाँति प्रेषित किये जा रहे है, इससे निर्वाचित पार्षदों की क्षवि जनता में खराब हो रही है। कानपुर शहर के नागरिकों में इस प्रकार के फार्मो के वितरण से रोष व्याप्त होना लाजमी भी है, क्योंकि समय से भवन स्वामी सामान्य कर की अदायगी करता है परन्तु उसकों मूलभूत सुविधायें नगर निगम द्वारा उपलब्ध नही कराई जाती है। एटूजेड भवन स्वामियों से यूजर चार्ज तो वसूल रहा है परन्तु कूड़ा नही उठाया जा रहा है।

अध्यक्ष ने मंच से निर्देशित किया कि सभागार में सभी विभागों के उपस्थित अधिकारीगण कृपया वरिष्ठ पार्षदों द्वारा की जा रही शिकायतों को नोट करें और तदानुसार उनका समय से निस्तारण करायें।

श्री सुहैल अहमद ने अध्यक्ष महोदय को समस्याओं को प्रस्तुत करने हेतु समय देने के लिये धन्यवाद दिया साथ ही कहा कि महोदय आपने एटूजेड के माध्यम से पूरे शहर की विशेष सफाई व्यवस्था देने हेतु आश्वस्त किया था, परन्तु उनकी कार्य प्रणाली से पूरा कानपुर कूड़ा घर के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, जिसकी सफाई के लिये जिलाधिकारी महोदया द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, अन्यथा कूड़े की सड़ांध से पूरे शहर में बीमारियाँ फैल जाती। सफाई के सम्बन्ध में शिकायत करने पर कहा जाता है कि जोन–1, 2, 3 के प्रभारी श्री पंकज भूषण है तथा जोन– 4, 5 व 6 का कूड़ा उठवाने का कार्य एटूजेड द्वारा किया जा रहा है, जबकि श्री अम्बरीश यादव की कूड़ा उठवाने की जिम्मेदारी बनती है। महोदय अनुरोध है कि सफाई की विशेष व्यवस्था हेतु निर्देश पारित किया जाये। एटूजेड पर कार्यवाही करने हेतु उ0प्र0 शासन को पत्र भेजा जाये तथा यूजर चार्ज वसूलने की मनाही की जाये। सदन को यह भी अवगत कराया जाये कि 06 माह में यूजर चार्ज के मद में कितनी धनराशि वसूली गई। उ0प्र0 जल निगम द्वारा दो–दो नये हैण्डपम्प लगाने तथा चार हैण्डपम्प रिबोर कराये जा रहे है, उसकी जाँच कराई जाये। चूँकि कार्यकारिणी समिति द्वारा रू0 07.00 लाख तक की धनराशि के कार्यो को करवाने हेतु ई–टेंडरिंग के स्थान पर सामान्य निविदा प्रक्रिया से कराये जाने वाले प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था। अतः वर्तमान में नगर आयुक्त द्वारा रू0 07.00 लाख तक की धनराशि के कार्यो को करवाने हेतु ई–टेंडरिंग के स्थान पर सामान्य निविदा प्रक्रिया से कराये जाने वाले आदेश को निरस्त किया जाये। स्लाटर हाउस के निर्माण का प्रस्ताव निरस्त करने के सम्बन्ध में जानकारी दी जाये। आवारा कुत्तों के काटने के कारण रू0 5000/– के इंजेक्शन अस्पतालों में लगाये जा रहे है, अतः आवारा कुत्तों को पकड़वाया जाये। पशु क्रूरता नियम की भी जानकारी दी जाये। कक्ष समितियाँ, अभियान समिति का गठन नही किया गया है। नगर निगम का खजाना खाली होने के भ्रष्टाचार को अवगत कराया जाये। नाला सफाई समुचित ढंग से न किये जाने के कारण क्षेत्रों में जलभराव हुआ है, नालों के अतिक्रमण भी हटाये जाये। वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय का विस्तृत विवरण दिया जाये। 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित नालों के निर्माण हेतु जोन–1 व 4 को भी धनराशि दी जाये। 08 सड़कें जो लोक निर्माण विभाग को दी गई है, उनसे उपयोगिता प्रमाण–पत्र नही प्राप्त हुआ है, तत्सम्बन्ध में भी जानकारी दी जाये। मेरे वार्ड में नाली के सामानान्तर दूसरी नाली बना दिये जाने के कारण सड़कें कम चौड़ी दिख रही है। अतः पूर्व की नाली ही यथावत् रखी जाये। शासन को नगर निगम से भेजी गई 93 सड़कों की तालिका में जिन क्षेत्रों की सड़कें नही सम्मिलित की जा सकी है, उन्हें भी सम्मिलित किया जाये। अक्षय पात्र योजना अभी तक नही चालू हुई है। बी.पी. श्रीवास्तव मार्केट में काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त महोदय के पत्र पर क्या कार्यवाही हुई, अवगत कराया जाये। जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एक व्यक्ति

ह0.....महापौर

उस मार्केट में अवैध ढंग से रहते हुये स्वयं दुकानों से वसूली कर रहा है। अभियन्त्रण के छोटे–छोटे कार्यो हेतु यथा पैच मरम्मत में मानव बल उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्रों में असुविधा हो रही है। अतः मानव बल की व्यवस्था की जाये। मेरे वार्ड में कोई बारातशाला नही है, निर्माण की कार्यवाही कराई जाये। वार्ड–84 हीरामनपुरवा नगर निगम का विद्यालय जीर्ण–शीर्ण है, जिसकी मरम्मत कराई जाये, जिससे किसी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके।

श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से नालियाँ साफ नही कराई गई है तथा कूड़ा घरों में अभियन्त्रण विभाग द्वारा प्लेटफार्म नही बनाये गये है, कृपया इसके सम्बन्ध में कार्यवाही कराई जाये।

श्री महेन्द्र शुक्ल ''दद्दा'' ने कहा कि गलीपिट में जालियाँ नही है, जिससे कूड़ा जाने से सीवर जाम हो जाता है, अतः नगर निगम से जालियाँ लगवाई जाये। अधिकतर मेनहोलों में ढक्कन नही है, जो दुर्घटना के कारण बने हुये है। अतः इस कार्य हेतु जलकल को निर्देशित किया जाये। जरीब चौकी से बकरमण्डी वाले डॉट नाले की सफाई का प्रस्ताव नही लिया गया है, जिससे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति प्रायः हो जाया करती है। पी. रोड गाँधी नगर में लगभग 50 ट्रक गोबर डाल दिया गया है, शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है, डॉट नाले की विशेष रूप से सफाई कराई जाये, क्योंकि इससे एक मकान गिरने की कगार पर खड़ा हुआ है। विडम्बना है कि पार्षद सी.सी. रोड नही बनवा सकता, जबकि विधायक अपनी निधि से सी.सी. रोड बनवा रहे है। विगत दिनों मा0 विधायक नगर निगम आकर अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर एक दिन में लगभग 01.20 करोड़ की पत्रावलियाँ तैयार करवाई है, जो टुकड़ों में बनाई गई है, जिससे कि वह पत्रावलियाँ उ0प्र0 शासन व सदन को न प्रेषित हो सके, जबकि पार्षद अनेकों पत्र लिखता है, अधिकारियों के पास चक्कर लगाता है परन्तु उसकी सुनवाई नही हो रही है। चाटुकार पार्षदों के ही कार्य कराये जा रहे है, अन्य के नही। नगर निगम नामान्तरण प्रक्रिया में अनेक अनियमिततायें बरती जा रही है। वृक्षरोपण कराया जा रहा है, जो सराहनीय है, परन्तु गलीपिटों की सफाई भी आवश्यक है। जिन ठेकेदारों को अभियन्त्रण विभाग से कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है, उसके सापेक्ष समय से कार्य न कराये जाने पर ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। मुख्य अभियन्ता ने ऐसे ठेकेदारों की तालिका खण्डों से माँगी है, परन्तु उन्हें तालिका अब तक उपलब्ध नही कराई गई है। गैंगमैन, सुपरवाईजर की कमी होने के कारण कार्य विलम्बित हो रहे है। अतः आउटसोर्सिंग या मानव बल हेतु पूर्व की भाँति विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि शहर की लगभग सभी समस्यायें आ चुकी है, अतः आपके वक्तव्य के अनुसार विभागीय जवाब भी आना चाहिये, इस पर कुछ पार्षदों ने कहा कि सभी पार्षदों के विचार सुन लिये जाये, तत्पश्चात् ही अधिकारियों से जवाब प्राप्त किये जाये। इस पर अध्यक्ष ने श्री विप्लव भट्टाचार्य से अपना विचार व्यक्त करने के लिये कहा।

श्री विप्लव भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व में महोदय आपने सदन सभागार में कहा कि मेरे सभी 110 पार्षद हाथ व आँख है, परन्तु कार्यो को देखने से आपके कथन पर समानता नही परिलक्षित हो रही है, क्योंकि किसी वार्ड में करोड़ों रूपये की धनराशि के काम हो गये है और कही–कही लाखों की धनराशि के कार्य भी नही हुये है।

अध्यक्ष ने स्पष्ट करते हुये कहा कि कोई भी पार्षद पत्र लेकर आता है तो उस पर कार्यवाही हेतु मेरे द्वारा तत्काल लिखकर सम्बन्धित विभाग को आदेशित कर दिया जाता है, क्या इसके सम्बन्ध में कोई पार्षद कह सकता है कि उसके पत्र को मैंने अग्रसारित न किया हो।

श्री सुरजीत सचान ने कहा कि आपने पत्र तो अग्रसारित किया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही हुई, अधिकारी सिर्फ अपनी गाड़ियों में घूमते है, अधिकारी निरन्कुश हो गये है तथा उनकी शिकायत करने पर धमकियाँ दी जाती है। परन्तु मैं ऐसे अधिकारियों से डरने वाला नही हूँ साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि क्षेत्रों में समानता के आधार पर कार्य कराये जाये।

श्री आलोक शुक्ला ने कहा कि जनता सामान्य कर की अदायगी बराबर करती आ रही है, परन्तु 30 वर्षो से मेरे वार्ड में गलियों तक में कार्य नही कराये गये जबकि इसके सम्बन्ध में निर्वाचित पार्षद पर ही जवाबदेही बनती है, तो अधिकारी की क्यों नही ? सामान्य कर निर्धारण में रू0 8000/– से रू0 45000/– के नोटिस भेजे जाते है, जो बाद में कम कर दिये जाते है, इसकी जाँच होनी चाहिये। मुख्य मार्गो की सफाई तो होती है परन्तु गली कूँचों की न तो सफाई होती है और न ही वहाँ से कूड़ा उठाया जाता है। एटूजेड द्वारा कहीं–कहीं चार–चार डस्टबीन रख दिये जाते है और जहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ एक भी नही रखा जाता है। जलकल विभाग नगर निगम द्वारा लीकेज ठीक कराये जाये, जिससे सड़कों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। जलकल विभाग हमेशा आर्थिक संसाधनों की कमी का रोना रोया ही करता है, अतः इसके सम्बन्ध में भी विचार किया जाये। नाला सफाई या अन्य कार्यो के सम्बन्ध में क्षेत्रीय पार्षद को जानकारी प्राप्त कराई जाये। अभियन्त्रण विभाग द्वारा इस्टीमेट की कॉपी आज तक उपलब्ध नही कराई जा रही है, तत्कापी सरल भाषा में उपलब्ध कराई जाये।

श्री आदर्श दीक्षित ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से पार्को का विशेष योगदान होता है। मेरे क्षेत्र के पार्को में एटूजेड द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है परन्तु उठाया नही जा रहा है। विद्यालयों के पास भी कूड़ा डम्प किया जा रहा है, जिससे बच्चों में संक्रमण फैलने की आशंका है। अतः अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि पार्को में वृक्षरोपण कराने के साथ–साथ उनकों विकसित करते हुये कूड़ा डालने से मना किया जाये तथा विद्यालयों के आस–पास कूड़ा डम्प करने हेतु एटूजेड को मना किया जाये। मा0 विधायकों के पत्र पर कार्यवाही होती है परन्तु पार्षद के पत्र पर कार्यवाही न कराया जाना खेदजनक है। महोदय क्षेत्र के समुचित विकास हेतु अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यवाही कराई जाये। 05–05 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराने एवं जिस वार्ड में निरीक्षण किया जाये उस वार्ड के पार्षद को सूचित करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। कार्य की पूर्णतः पर लोकार्पण पत्थर पर पार्षद व मा0 महापौर का नाम लिखवाया जाये।

श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय ने कहा कि मेरे वार्ड में किसी भी पार्क को विकसित नही किया गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि रामजानकी पार्क को विकसित करने हेतु वर्ष 2013–14 का स्वीकृत प्रस्ताव पर कार्यवाही हेतु आदेशित करने की कृपा करें। अन्य वार्डो की तरह मेरे वार्ड में भी कार्य कराये जाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जोन–5 को विशेष ध्यान देने हेतु आदेशित किया जाये, क्योंकि जोन–5 द्वारा मेरे वार्ड पर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड में समानता के आधार पर कार्य कराये जाने को प्राविधानित कर दिया जाये। किसी भी विभाग द्वारा कार्य नही कराया जा रहा है, मेरा वार्ड सबसे उपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन सभागार में बैठे विधायक श्री सलिल विश्नोई, जो पदेन सदस्य है, से विचार व्यक्त करने के लिये कहा।

श्री सलिल विश्नोई ने कहा कि सभी पार्षद साथी विकास के लिये बेचैन है, इसके दृष्टिगत कहना चाहता हूँ कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से कार्य कराये जाये। श्री सुहैल अहमद ने समस्याओं के प्रति अच्छा वक्तव्य दिया परन्तु वक्तव्य पर क्रियान्वयन हेतु उनसे कहना चाहता हूँ कि 74वाँ संविधान संशोधन लागू कराने हेतु सदन से माध्यम से और अपने प्रभाव से उ0प्र0 सरकार से अनुरोध किया जाये, जिससे शहर का अपेक्षित विकास हो सके। शहर में उ0प्र0 जल निगम द्वारा 24 ओवरहैड टैंक बने खड़े है, परन्तु चालू नही हो पा रहे है जबकि, मा0 नगर विकास मंत्री ने कहा था कि मार्च, 2014 तक सभी ओवरहैड टैंकों से क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित हो जायेगी। शहर में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अवगत कराना चाहता हूँ कि मुझे विधायक निधि से 100 हैण्डपम्प प्राप्त हुये थे तद्नुसार जलकल विभाग से 75 हैण्डपम्प लगवाये जाने हेतु मेरे द्वारा हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु चयनित स्थलों की तालिका के साथ पत्र दिया गया था, जिसमें से 25 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करवाये गये और तीन माह के अन्दर ही उनमें से 20 हैण्डपम्प खराब हो गये। कई पम्पिंग स्टेशन बनने है, प्रायः देखने

में आ रहा है कि पीने के पानी हेतु कई जगह भवन स्वामियों ने पानी बेचना शुरू कर दिया है। नगर निगम सफाई करता है और पूरे शहर में हर जगह सफाई भी नही कर सकता है, अतः जनता को हम सभी शिक्षित भी करें, क्योंकि प्रायः देखने में आता है कि सफाई करने के तुरन्त बाद ही लोग नालियों में कूड़ा डाल देते है। मेनहोल या नालियों पर कूड़ा नही डाला जाना चाहियें क्योंकि इससे बिमारियाँ फैलने की आशंका बनी रहती है। सभी निर्वाचित पार्षद द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में 100–100 वृक्ष लगवाने का प्रयास किया जाये। पार्षदों के विचार सुनने और उसके अनुश्रवण में अधिकारियों के वक्तव्य हेतु यदि नियमावली में प्राविधान हो तो सदन को दो दिन के लिये बुलाया जाये।

श्री राजेन्द्र प्रताप कटियार ने कहा कि नगर निगम आने पर पता चलता है कि नगर आयुक्त, जिलाधिकारी या मण्डलायुक्त की बैठक में गये है, जबकि नगर निगम अधिनिमय–1959 के तहत नगर निगम स्वायत्त शासित संस्था है। नगर निगम का नगर आयुक्त, जिलाधिकारी की बैठक में जाने हेतु बाध्य नही है परन्तु पिछले नगर आयुक्त कार्यकारिणी की चल रही बैठक छोड़कर जिलाधिकारी की बैठक में चले गये थे। समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आ रहा है कि जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश निर्गत किये गये है, जो नियमावली के प्रतिकूल है। समितियों के गठन में क्षेत्रीय पार्षदों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु पत्र जारी किया जाये। उ0प्र0 शासन से प्राप्त धनराशि के मद से कार्य कराये जाते है, कुछ ही कार्य नगर निगम निधि से कराये जाते है, तो खजाना खाली कैसे हो गया। मण्डलायुक्त के कहने पर मार्गप्रकाश बिन्दु लगाये जाते है, जबकि मेयर और पार्षदों के कहने पर नही। नगर निगम स्कूल हीरामनपुरवा के भवन का निरीक्षण किया जाये और दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही की जाये। उ0प्र0 जल निगम द्वारा बरसात के दृष्टिगत खुदाई बन्द कर दी जानी चाहियें थी, जो बदस्तूर जगह–जगह गहरी लाईन डाली जा रही है। एटूजेड द्वारा जब समय से कूड़ा नही उठाया जा रहा है तो यूजर चार्ज क्यों वसूला जा रहा है। कार्यो में पारदर्शिता होनी चाहिये तथा पार्षदों के पत्रों का जवाब दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाये, पूर्व की सदन की बैठक में मेरे द्वारा प्रश्न पूछे गये थे, जिनका जवाब नही दिया गया। लोक निर्माण विभाग या नगर निगम की नव निर्मित सड़क उ0प्र0 जल निगम द्वारा तत्काल खोद दी जाती है, अतः विभागीय सामन्जस्य स्थापित कराया जाये ताकि नागरिकों की असुविधा के साथ–साथ आर्थिक क्षति से भी बचा जा सकें। कार्य की पूर्णतः पर पार्षद के पत्र के पश्चात् ही भुगतान किया जाये। कर्मचारी नेताओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों के मिलने हेतु उन्हें कार्यालय समय के पश्चात् ही मिलने का समय दिया जाये।

ह0.....महापौर

श्री जितेन्द्र सचान ने कहा कि मेरे वार्ड के हैण्डपम्प रिबोर नही हुये है परन्तु पत्र भेज दिया गया है। ई–टेंडरिंग का प्रस्ताव जब कार्यकारिणी समिति की बैठक से निरस्त हो गया था, तो पुनः कैसे लागू किया गया है, अवगत कराया जाये। कानपुर दक्षिण क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाये, क्षेत्र के विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाये।

श्रीमती रीता शास्त्री ने कहा कि सदन की पूर्व की बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुपालन नही किया जाता है। प्रत्येक वार्ड में दो–दो हैण्डपम्प नये लगवाने तथा चार हैण्डपम्प रिबोर किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत मेरे वार्ड में हैण्डपम्प लगते ही खराब हो गये है। नालों की समुचित सफाई नही हुई है। 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नालों के निर्माण एवं अन्य अभियन्त्रण कार्यो में समानता लाई जाये। कार्य की सम्पन्नता पर पार्षद से पत्र लिया जाये।

श्रीमती विजय लक्ष्मी ने कहा कि मेरे द्वारा कई पत्र दिये गये है, पत्रों पर कार्यवाही नही की गई है। कार्यादेश में निर्गत तिथि के अनुसार कार्य समय से प्रारम्भ कराये जाये। समय से कार्य प्रारम्भ न करने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही की जाये।

श्रीमती पूनम राजपूत ने कहा कि मेरे वार्ड में दो हैण्डपम्प तो अधिष्ठापित हो गये परन्तु उनके प्लेटफार्म अभी तक नही बने है और उन हैण्डपम्पों में बालू आ रही है। मरे जानवरों के डालने की व्यवस्था की जाये। हाथ कूड़ा गाड़ियाँ खड़ी करने की व्यवस्था की जाये, क्योंकि सफाई कर्मी जहाँ चाहता है किसी के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। पेयजल की समस्या के दृष्टिगत प्रत्येक वार्ड में 05 सबमर्सिबल पम्प लगवाने की व्यवस्था तथा उनके बिलों का भुगतान मार्गप्रकाश विभाग से कराने की व्यवस्था कराई जाये। 74वाँ संविधान संशोधन लागू करने एवं पार्षदों को पार्षद भत्ता दिलवाने हेतु कार्यवाही की जाये। नगर निगम की खाली भूमि को अतिक्रमण से रोकने हेतु कई बार व्यवसायिक/आवासीय उपयोग हेतु दुकानें या आवास बनाये जाने के लिये पत्र दिये गये परन्तु नगर निगम द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नही कराई गई।

श्रीमती आशा सिंह ने कहा कि मेरे वार्ड में सीवर की समस्या है, नगर आयुक्त महोदय एवं महाप्रबन्धक को पत्र दिये परन्तु अवगत कराया जा रहा है कि शासन को पत्र भेजा गया है, उसके सम्बन्ध में जानकारी चाहती हूँ कि उस पर क्या कार्यवाही चल रही है। दो हैण्डपम्प भी मेरे क्षेत्र में नही लगे है। जरौली फेस–1 व 2 में कभी सीवर सफाई नही हुई है। कानपुर विकास प्राधिकरण से योजना हस्तान्तरित हुई है, जिसमें रू0 33 लाख से कार्य कराये जाने हेतु धनराशि प्राप्त हुई है तद्नुसार कार्य कराये जाये।

सुश्री नमिता कनौजिया ने बताया कि क्षेत्र में दो कार्यो हेतु निविदायें होने के पश्चात् भी कार्य प्रारम्भ नही हुये, इसकी जाँच कराई जाये।

श्रीमती नीना अवस्थी ने कहा कि महिला छात्रावास का निरीक्षण कर कार्यवाही कराई जाये।

श्रीमती नीलम चौरसिया ने कहा कि जल निगम के अधिकारियों को बुलाकर रोड कटिंग के सम्बन्ध में उनकी जवाबदेही तय की जाये, क्योंकि जल निगम द्वारा की जा रही खुदाई से शहर की जनता पीड़ित है। एटूजेड द्वारा कूड़ा उठान नही किया जा रहा है। बहाना बनाया जाता है कि यह कूड़ा नही मलवा है, जबकि यूजर चार्ज वसूला जा रहा है। सीसामऊ नाले पर सिल्ट सफाई की जाँच कराई जाये। जलकल विभाग से खराब हैण्डपम्प ठीक कराने के लिये कहने पर कहा जाता है कि हैण्डपम्प रिबोर होंगे। मार्गप्रकाश विभाग में कर्मचारियों की कमी है अतः आउटसोर्सिंग से 05–05 कर्मचारी रखे जाये। हाईमास्क प्रकाश बिन्दु ठीक कराये जाये। एल.ई.डी. लाईट न लगवाये जाने हेतु शासन को पत्र भेजा जाये, क्योंकि यह बहुत जल्दी खराब हो जाती है।

श्री महेन्द्र प्रताप ने कहा कि पी.ए.सी. मोड़ स्थित पुल का नाम स्व0 बुद्ध चन्द्र करने हेतु प्रस्ताव लगाया गया था, जिस पर कार्यवाही नही कराई गई, अतः अनुरोध है कि कार्यकारिणी के स्वीकृत प्रस्ताव का निर्णय लागू किया जाये। सड़कों के मेनहोल को रेज न करते हुये सड़के ठीक कराई जाये। श्रीनगर मोहल्ले में वर्ष 2009 में सीवर डालते समय डॉट नाला बन्द हो गया था, जिसकों खुलवाने के लिये लगातार 02 वर्ष से कह रहा हूँ कि उस चोंक डॉट नाले की सफाई कराई जाये, परन्तु कोई सुनवाई नही की जा रही है, जिससे क्षेत्र में प्रायः सीवर का गंदा पानी भरा रहता है। महोदय आपसे पुनः सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि रमजान के महीने में इसकी सफाई हेतु तत्काल आदेश निर्गत करने की कृपा करें, जिससे रोजेदारों एवं क्षेत्र की जनता के प्रति आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इसके साथ ही आपकों अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि इस समस्या का समाधान नही कराया गया तो मैं आपना इस्तीफा आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा।

श्री कौशल मिश्र ने कहा कि शहर के चारों प्रवेश द्वारों में मा0 महापौर का छोटा नाम लिखा है जबकि नगर आयुक्त का नाम लिखा ही नही है। अतः समुचित ढंग से नाम लिखवाने की व्यवस्था की जाये। मेरे क्षेत्र में गलियाँ तक नही बनी है, प्रकाश बिन्दु नही है। अतः महोदय आपसे अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में विकास कार्य अन्य वार्डो की भाँति कराये जाये।

श्री जब्बार ने कहा कि मेरा वार्ड घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसके कारण भयंकर सीवर समस्या है। मल नालियों में बह रहा है। क्षेत्र की 50 प्रतिशत सडकें जल निगम द्वारा खुदाई करके छोड़ दी गई है, जिससे नागरिक गिरकर चोट खा रहे है। जल निकासी हेतु लाईन तत्काल डलवा दी जाये।

श्री मो0 इरफान खान ने कहा कि क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान नगर निगम अधिकारी बगाही कब्रिस्तान कूड़ा घर से ही वापस आ गये, जबकि मैं अपने क्षेत्र की सीवर समस्या दिखाना चाहता था। बिना बरसात के सीवर का गंदा पानी क्षेत्रों में भरा रहता है। अध्यक्ष महोदय आपसे भी अनुरोध है कि मेरे वार्ड की समस्याओं के निरीक्षण हेतु एक दिन का समय आप अवश्य निकालें।

श्री मो0 शमीम आजाद ने कहा कि नगर निगम का पहला कार्य सफाई, दूसरा पेयजल का है। क्षेत्र की सफाई हेतु क्षेत्रीय जनता एवं विधायक पार्षद के पास जाते है जबकि सफाई के सम्बन्ध में शिकायत करने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई सुनवाई नही की जाती है। एटूजेड ने शहर को जगह–जगह कूड़ें के अड्डों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा सफाई हेतु समिति गठित कर व्यवस्था दी गई है, जबकि यह कार्य नगर निगम का है। हैण्डपम्प कितने रिबोर हुये, कितने अधिष्ठापित हुये इसकी जानकारी दी जाये। जोनल अधिकारी श्रीमती पुष्पा राठौर की कार्य प्रणाली के कारण एक कर्मी कॉर्डीयोलॉजी में भर्ती होना पड़ा है। तत्कालीन नगर आयुक्त श्री एन.के.सिंह चौहान तथा श्री डी.के.सिंह द्वारा पार्षदों से प्रस्ताव माँग कर कहा जाता रहा कि नगर निगम में धन खूब है, अब क्या हो गया, जिससे नगर निगम खजाना खाली हो गया। इसके सम्बन्ध में महोदय अवगत कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय ने अपरान्ह 03:00 बजे भोजनावकाश हेतु बैठक की कार्यवाही 45 मिनट के लिये स्थगित की।

.....

स्थगन अवधि पश्चात् अपरान्ह 03:45 बजे बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि आवारा जानवर नही पकड़े जा रहे है, विज्ञापन के सम्बन्ध में नियमावली के तहत विज्ञापन शुल्क नही वसूला जा रहा है, एन.एच.आई. की सड़कों का पानी क्षेत्र में बह रहा है, उसके लिये अपनी लाईन डालकर जल निकासी की व्यवस्था करने हेतु एन.एच.आई. को निर्देशित किया जाये। फेरीनीति का निर्धारण कर तद्नुसार कार्यवाही कराई जाये।

श्री विनय अग्रवाल ने कहा कि वार्ड स्थित सुजानपुर, कछारपुर गाँव, जो मलिन बस्ती है, वहाँ कार्य कराया जाये। तत्कालीन नगर आयुक्त श्री एन.के.सिंह चौहान द्वारा पनकी पावर हाउस के पास 186 दुकानों के निर्माण की योजना प्रस्तावित की गई थी तदानुसार आवंटन

सुनिश्चित किया जाये, जिससे जनता लाभान्वित हो सके। मा0 विधायक श्री सत्यदेव पचौरी ने अपनी विधायक निधि से कार्य कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया है, उनकों गति प्रदान की जाये।

श्री बाबूराम सोनकर ने कहा कि मेरे वार्ड में जो अधिकतर क्षेत्रीय ग्रामीण परिवेश में है वहाँ इंटरलॉकिंग, खड़न्जा तक नही लगा है, समस्याएं ही समस्याएं है, उन समस्याओं का समाधान कराया जाये। 75 प्रतिशत हैण्डपम्प छोटी–छोटी खराबियों के कारण बन्द है, उन्हें ठीक करवाया जाये। बेसित प्राइमरी स्कूल के बच्चों को चपरासी की ड्रेस पहना दी गई है, ड्रेस कोड निर्धारित किया जाये। स्कूल में शिक्षकों की कमी है तथा सफाई नही होती है, इस पर भी व्यवस्था दी जाये। क्षेत्र में सफाई हेतु सफाई कर्मी बढ़ाये जाये। कुलगांव में यूनानी चिकित्सालय है, उसे प्रारम्भ कराया जाये।

श्री चन्द्रभाल शुक्ल ने शिकायत करते हुये कहा कि शहर में सफाई कर्मी स्वयं कार्य न करके अपनी एवज में दूसरे को रू0 2000/– प्रतिमाह देकर कार्य करा रहे है। जल निगम द्वारा सड़कों की खुदाई करके छोड़ दिया गया है, उन्हें तत्काल ठीक कराया जाये।

श्रीमती जानकी वर्मा ने कहा कि जलकल विभाग की अनदेखी के कारण क्षेत्र में जलभराव की स्थिति है, जिससे नमाजी नमाज अदा करने नही जा पा रहे है। सीवर लाईन की समस्या का समाधान कराया जाये।

श्री रामऔतार प्रजापति ने कहा कि मार्गप्रकाश विभाग द्वारा मेरे वार्ड में प्रकाश बिन्दु नही चालू करवाये जा रहे है तथा 08 महीनों से विकास कार्य ठप पड़े है। तिकोनिया पार्क में न ही पाथवे का निर्माण कराया गया और न ही लाईट लगवाई गई। डबल पुलिया जय भगवान गेस्ट हाउस के पास रातोरात जल निगम द्वारा खुदाई कर दी गई, पता करने पर बताया गया कि ए.सी.एम. द्वारा रोड कटिंग की अनुमति दी गई है। इस खुदाई के कारण नेहा नाम की एक बच्ची का गिरने से पैर टूट गया है, इसके लिये कौन जिम्मेदार है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिये। ठेकेदारों को फर्जी भुगतान कर दिये गये है। रामलला बाजार मण्डी में निर्माणाधीन नाले का कार्य बहुत अच्छा हो रहा है परन्तु मीडिया एवं चाटुकार लोगों द्वारा गलत शिकायत की जा रही है। अतः विकास कार्य बाधित करने वाले ऐसे व्यक्तियों पर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री सुनील कनौजिया ने कहा कि आचार संहिता के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, परन्तु पूर्व के नगर आयुक्त द्वारा कार्यो का भुगतान कर दिया गया, जिससे खजाना खाली हो गया है। इसके सम्बन्ध में शासन से जाँच कराई जाये तथा कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जाये। जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के कार्यो के प्रस्ताव जो लाये गये है, उन कार्यो के वर्तमान में व्ययानुमान

अन्तर लाजमी है, क्योंकि एक वर्ष बाद सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, फिर भी कार्य विलम्बित हो रहे है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। नाला सफाई की भ्रामक सूचना दी जा रही है, नाला सफाई की जाँच की जाये। आने वाले समय में विकास कार्य न होने पर क्षेत्र के पार्षद दौड़ाये जायेंगे, जैसे वार्ड–36 के पार्षद को एक सप्ताह घर से बाहर रहना पड़ा। गंगा सफाई के सम्बन्ध में पार्षद की टीम बनाकर कार्य कराया जाये। वार्ड–25 के कुछ मकानों को वार्ड–01 में सम्मिलित कर दिया गया है, इसे भी ठीक कराया जाये।

श्री मदन बाबू ने कहा कि मेरा वार्ड जो गंगा के किनारे स्थित है, जहाँ से पूरे शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है तथा अन्तिम संस्कार हेतु स्थल भी है, परन्तु घाटों में सफाई न होने के कारण गन्दगी व्याप्त है। कुछ ठेकेदारों ने अवगत कराया है कि उनके भुगतान लम्बित है, अतः अनुरोध है कि उनका भुगतान किया जाये, जिससे विकास कार्य बाधित न हो। समानता पर सभी वार्डो में कार्य कराया जाये। जोन–4 में नवाबगंज में जल निकासी हेतु नये निर्माण को प्रस्तावना में सम्मिलित किया जाये, जिससे जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो सके। मार्गप्रकाश का एक पोल ठीक कराया जाये। जल निगम द्वारा खोदी गई सड़कों को बनवाया जाये।

श्री जगदीश सिंह ने कहा कि कैटिल कैचिंग विभाग में जो जानवर कांजी हाउस में बन्द किये जाते है, वहाँ से वह कहाँ चले जाते है, इसके सम्बन्ध में पता चला है कि आवारा जानवर बन्द कर वहीं से बेचे जा रहे है, पूरी गाड़ी के जानवर बेच दिये जाते है। क्षेत्रीय समस्याओं के लिये जनता विधायक से ज्यादा पार्षद से अपेक्षा रखती है, परन्तु पार्षदों द्वारा की गई शिकायत पर नगर निगम द्वारा कोई सुनवाई नही की जाती है। जोनल अधिकारियों का क्षेत्रीय पार्षद के साथ क्षेत्रीय भ्रमण निर्धारित किया जाये, जिससे क्षेत्र की समस्यायें उनके संज्ञान में आ सके और उनका तदानुसार समाधान हो सके। सी.ओ.डी. कालोनी में पार्क है उसमें एक चबूतरे की व्यवस्था के साथ गड्ढा खोदकर पानी भरवा दिया जाये ताकि पूजा की जा सके। पार्षदों के कहने पर 500–500 पेड़ लगवाये जाये। मा0 मुख्यमंत्री द्वारा श्याम नगर में वृक्षारोपण किया गया जबकि उनके जाते ही वह पेड़ टूट गये है। अतः वृक्षारोपण के साथ–साथ इनके देख–रेख की व्यवस्था भी की जाये। कन्ट्रोल रूम में शिकायत करने पर नगर निगम द्वारा निस्तारण नही किया जाता हैं। कन्ट्रोल रूम में शिकायत करने पर नगर निगम से गाड़ी भेजकर ठीक कराया जाये न कि क्षेत्रीय कर्मचारी से। मा0 विधायक की हैसियत नगर निगम में पार्षद से अच्छी है, क्योंकि उनके कहने पर कार्य तत्काल करा दिया जाता है। किसी–किसी वार्ड में 50 और किसी में 18 सफाई कर्मी ही है, कृपया आवश्यकतानुसार सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाये। जल निगम जहाँ चाहता है खुदाई कर देता है परन्तु लाईन डालने के पश्चात सड़कों को मोटरेबुल नही करता है। सबसे बड़ी शिकायत जल निगम की है, जहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। क्षेत्र की मलिन बस्ती की तीन में से दो गलियों में

ठेकेदार द्वारा डेढ़ वर्ष से गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। महोदय अनुरोध है कि सदन के माध्यम से पार्षदों द्वारा जो समस्यायें उठाई गई है, उन पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

श्री अतुल त्रिपाठी ने कहा कि गोवंश पकड़े जा रहे है और सुअर नही पकड़े जा रहे है।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि सदन की बैठक में बार–बार वही प्रश्न उठाये जाते है परन्तु कार्यवाही नही कराई जाती है, इस पर अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नही की जाती है। ऐसा कोई तरीका निकाला जाये कि जब तक पूर्व में उठाई गई समस्या का समाधान न हो तब तक अगला सदन न बुलाया जाये। दाखिल–खारिज में बहुत अनियमितता बरती जा रही है, जिन्होंने मुझे पाला पोषा उनके स्वर्गवासी होने पर विरासतन नाम दर्ज कराने में अनियमितता घोर निंदनीय है। जलकल विभाग के कारण शुद्ध पेयजल के स्थान पर सीवर का पानी पीने के लिये जनता मजबूर हो रही है। जनसूचना के माध्यम से माँगी गई सूचना उपलब्ध नही कराई जाती है। लोकतंत्र से यदि विश्वास उठ गया तो पार्षद जनता से पिटेंगे। सफाई की समुचित व्यवस्था नही है, जिन पार्को को एजेन्सियों को विकसित करने हेतु दिया जा रहा है, उनकी तालिका उपलब्ध कराई जाये। जहाँ से गंगा निकल रही है निर्मलता हेतु वहीं पर नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के सही ढंग से संचालित न होने के कारण गंगा गंदी हो रही है। इन्हीं समस्याओं के कारण शहर रहने योग्य नही है।

श्री चेतन चौहान ने कहा कि निर्वाचित होने के पश्चात् जब से शपथ लिया 40–45 पत्र स्वास्थ्य विभाग को दिये गये। नाला सफाई में अनियमितता की गई परन्तु भुगतान कर दिया गया, इसकी जाँच कराई जाये और दोषी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। जल निगम द्वारा सड़कें खोदी गई परन्तु बनाई नही गई है, उनकों मानक के अनुसार बनवाया जाये। सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में पार्षदों को जानकारी नही दी जाती है। चौराहे पर सुलभ कॉम्पलेक्स बनाया जाये। सड़के निर्मित होने के बाद लोकार्पण पत्थर में मा0 महापौर व पार्षद का नाम होना चाहिये। मार्गप्रकाश एवं जलकल विभाग में मरम्मत की शिकायत करने पर पार्षदों की अनदेखी की जा रही है जबकि विधायक की शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि महोदय यदि आप कार्यवाही नही कर सकते है तो हम कार्यवाही कर सकते है।

श्री आदित्य शुक्ल ने कहा कि वार्ड सफीपुर में जल निगम द्वारा पाईप लाइन डाली गई है, जो सही ढंग से न डालें जाने के कारण पानी भरा है, परन्तु ठेकेदार का भुगतान कर दिया गया है। जोनल अधिकारी से शिकायत की गई परन्तु उनके द्वारा सार्थक प्रयास नही किया गया। जल निगम के अधिकारियों में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि सदन की बैठक तक में बैठना नही चाहते। पानी की टंकियाँ बना

दी गई परन्तु न ही पाईप लाईन डाली गई और न ही उनमें आपूर्ति सुनिश्चित की गई। जल निगम के अधिकारी एवं बड़े–बड़े ठेकेदार दोनो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि आप एफ.आई.आर. करे और हम सब आपके साथ है। बिठूर में गंगा के पानी की तुलना में जाजमऊ में पानी ज्यादा प्रदूषित है, उसका कारण सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का चालू न होना तथा टेनरियों का प्रदूषित पानी सीधे गंगा में गिरना है। अतः इस पर जाँच कर दोषी जनों पर कार्यवाही कराई जाये। पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण में हम सभी आपके साथ है। तत्कालीन नगर आयुक्त श्री डी.के.सिंह द्वारा रू0 30.00 लाख तक की धनराशि के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्यो की प्रस्तावना उ0प्र0 शासन को भेजी गई थी, जो आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा नगर निगम को वापस कर दी गई है। अतः उन सभी कार्यो को कराने हेतु सदन की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अब्दुल कलाम ने कहा कि हैण्डपम्प खराब पड़ा है, जिसे शिकायत करने पर भी ठीक नही किया जा रहा है, सफाई कर्मी का भुगतान नही किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की सफाई प्रभावित हो रही है। क्षेत्र की छूटी 30 मीटर सीवर लाईन शीघ्र डाली जाये तो क्षेत्रीय जलभराव की समस्या का समाधान हो सके। एटूजेड मात्र दो बीटों पर कूड़ा उठान कर रहा है, पूरे वार्ड से कूड़ा उठान कराया जाये।

श्री हाजी मुंशीफ अली रिजवी ने कहा कि ग्वालटोली स्थित छोटी कर्बला की लाईटें ठीक कराई जाये, सफाई नही हो रही है सफाई कराई जाये अन्यथा बीमारियाँ फैलने की आशंका है, इस पर ध्यान दिया जाये।

श्री मनोज यादव ने कहा कि पुनरीक्षित बजट लाने का कोई औचित्य नही है, मूल बजट में सोसाइटी क्षेत्रों के विषय में कोई प्राविधान नही किया गया है। टटिया झनाका मलिन बस्ती की सड़क आज तक नही बनाई गई, जबकि शिव कटरा वाली सड़क वर्ष में दो बार बनाई जा चुकी है। महोदय आपसे अनुरोध है कि क्षेत्रीय भ्रमण कर समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें।

श्री राज किशोर यादव ने कहा कि नगर निगम से विकास कार्य भी बहुत हुये है, इस सत्य को भी झुठलाया नही जा सकता। इसी कड़ी में आपसे अनुरोध है कि गंगा बैराज में नहाने का स्थल बना दिया जाये, जिससे आये दिन जो डूबने की घटनायें होती है, उनसे बचा जा सके। जल निगम द्वारा जब जलापूर्ति के क्षेत्र में 95 प्रतिशत कार्य कराया जा चुका है तो शीघ्र जलापूर्ति भी सुनिश्चित कराई जाये। वार्डो में नगर निगम सम्पत्तियों पर कब्जे हो रहे है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार चिन्हांकन कर कार्यवाही की जाये तो सम्पत्ति सुरक्षित होने के साथ–साथ अधिकारियों, कर्मचारियों, पार्षदों को आवास सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

श्री बबलू मेहरोत्रा ने कहा कि वार्ड–97 से वार्ड–105 सीवर लाईन चोक होना मुख्य समस्या है। निर्वाचित सदन 2012 से वर्तमान 2014 तक अनेकों पत्र दिये जा चुके है, परन्तु जल निगम व जलकल विभाग द्वारा सीवर लाईन डालने पर कोई कार्यवाही नही की गई। कृपया इस पर ध्यान देकर तत्काल समस्या का समाधान कराया जाये। खुदी सड़कें ठीक कराई जाये। जलकल विभाग से हैण्डपम्प लगवाये जाये और जल निगम से रिबोर करवाये जाये। राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते मुझे पुरस्कृत भी किया गया है, परन्तु मेरे द्वारा की गई शिकायतों पर सुनवाई न होने पर दुख होता है।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि केबिल डालने वाली संस्थाओं द्वारा टावर लगाने तथा केबिल डालने में मनचाहे ढंग से खुदाई की जा रही है, इन पर कार्यवाही की जाये। पर्यावरण की अनदेखी करते हुये रिलाइन्स वालों ने टावर लगाये है, जबकि पर्यावरण को सुदृढ़ करने के लिये पार्को को विकसित किया जाना भी उनकी जिम्मेदारी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में विकास कार्य हुये है, उनके सम्बनध में कहना है कि कुछ वार्डो में तो करोड़ों की धनराशि के कार्य कराये गये है तथा कुछ में लाखों की धनराशि तक के कार्य नही हुये है, समानता के आधार पर कार्य कराये जाये। एक ही विभाग में कई वर्षो से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाये, क्योंकि शासनादेश में भी इसकी व्यवस्था निर्धारित है। विज्ञापन नियमावली पर जद्दोजहद चल रहा है। बजट में रू0 03.00 करोड़ की धनराशि दर्शाई गई है जबकि रू0 05.00 करोड़ की आय होती है। विज्ञापन पर जो नियमावली स्वीकृत हुई है, परन्तु उसका क्रियान्वयन न होने से महानगर में अवैध होर्डिंग्स लग रही है। ट्रैफिक सिग्नल की जिम्मेदारी भी नगर निगम की है, जो सिग्नल बन्द है, उन्हें चालू किया जाये।

श्री संदीप जायसवाल ने कहा कि मेरे वार्ड में 80 से 85 गलियाँ है, कृपया अनुरोध है कि निरीक्षण कराकर कार्यवाही कराई जाये।

श्री लक्ष्मीशंकर राजपूत ने कहा कि डूडा के माध्यम से सीवर लाईन डाली गई परन्तु कनेक्शन न किये जाने के कारण मल नालियों में बह रहा है अवगत कराना है कि इसके बावजूद भी धरीपुरवा के नागरिकों पर सीवर कर चालू है। अतः अनुरोध है कि पुराना सीवर टैक्स माफ कर वर्तमान समय से बिलिंग सुनिश्चित की जाये। सड़क निर्माण की जानकारी नही दी जाती है, क्षेत्र का विवाद है कि यह क्षेत्र वार्ड–55 में आता है तो इसकी सफाई व्यवस्था भी वही से कराई जाये। वार्ड में 24 लाख की लागत की 09 माह पूर्व बनी सड़क टूट गई है, सम्बन्धित की शिकायत करने नगर निगम आने पर कहा जाता है कि पार्षद जी आपको क्या चाहिये ? इसकी जाँच कराई जाये।

श्री संजय बाथम ने कहा कि वार्ड की जल निकासी, सफाई हेतु कई पत्र लिखे परन्तु कार्यवाही नही कराई गई।

श्री राकेश साहू ने कहा कि कार्यकारिणी/सदन की बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुपालन नगर निगम द्वारा नही कराया जा रहा है, तो फिर इन बैठकों का क्या औचित्य है ?

श्री ओमप्रकाश ने कहा कि सफाई के सम्बन्ध में चर्चा हुई, उसके सम्बन्ध में मा0 महापौर जी आपका ध्यान स्वास्थ्य विभाग द्वारा फर्जी बिल बनाकर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूँ । कुछ सफाई नायकों की दया से जो कर्मी कार्य नही करते है, उनका भी वेतन निकाला जा रहा है, जो इंस्पेक्टर सुविधा शुल्क देता है, वह अच्छा है और अन्य गलत। सफाई के सम्बन्ध में यह कहना है कि 3576 सफाई कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके है शेष 2200 सफाई कर्मी ही है। एटूजेड में भी पूर्व में 1400 कर्मी लगाये गये थे, जो मात्र 400 बचे है, इन आँकड़ों को देखने से ही शहर की सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में जाना जा सकता है। जलकल विभाग में भी जो सीवर कर व जलकर उनका मुख्य आय का श्रोत है, उसके अनुसार सीवर सफाई कर्मियों का वेतन एवं अन्य कार्य कराया जाता है। सीवर सफाई कर्मियों की संख्या मात्र 300 बची है। इन आँकड़ों के दृष्टिगत अनुरोध है कि कर्मियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी कार्यवाही कराई जाये। क्षेत्र के कार्य पार्षद की निगरानी में कराये जाये।

श्री राजेश सिंह ''पप्पी'' ने कहा कि आवारा जानवरों की बात की जाती है, उस पर कहना है कि सफाई कर्मी कूड़ा इकट्ठा करते है और सुअर फैला देते है। अतः सुअर पूर्व की भाँति पकड़े जाये। ईद या अन्य मुस्लिम त्योहारों के समय सुअर जब बाड़ो के अन्दर हो सकते है तो हर समय क्यों नही हटाये जा सकते है। मा0 मुख्य मंत्री द्वारा समय–समय पर विकास हेतु धन दिया जाता है, उनकी मंशा यह भी है कि अधिकारी अपने विभाग में नागरिकों की समस्याओं को सुनने हेतु समय से बैठे। मण्डलायुक्त महोदय एवं जिलाधिकारी की आवश्यक बैठकों में ही नगर आयुक्त द्वारा प्रतिभाग किया जाये। जल निगम अधिकारियों की नकेल नगर आयुक्त महोदय के माध्यम से कसी जाये, जिससे सड़कों की अनावश्यक/विभागीय सामंजस्य के बिना खुदाई पर रोक लगाई जा सके।

अध्यक्ष ने कहा कि निर्वाचित सदन एवं कार्यकारिणी की बैठक के समय नगर निगम अधिनियम के तहत नगर आयुक्त जिला प्रशासन की बैठक में किस प्रकार प्रतिभाग करे, यह उनके विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिये साथ ही कहा कि आज शहर के विकास के सम्बन्ध में अच्छी चर्चा हुई है और इसे जल्दी खत्म नही करेंगे। इसी के साथ श्री अशोक चन्द्र तिवारी से अपने विचार प्रकट करने के लिये कहा।

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने कहा कि 11 सितम्बर, 2012 एवं 29 अप्रैल, 2013 को जलकल विभाग को पत्र दिये थे, परन्तु कार्यवाही नही की गई। श्री एन.के.सिंह चौहान द्वारा 05–05 हैण्डपम्प रिबोर कराने का आश्वासन दिया गया था, उस पर भी अमल नही किया गया।

ह0.....महापौर

श्री डी.के.सिंह द्वारा दो हैण्डपम्प नये एवं दो रिबोर कराने हेतु आश्वस्त किया गया था उनमें से 10 जुलाई से 19 जुलाई हो गई, एक लगा जो एक माह चला, अब वह भी ठूंठ बनकर खड़ा है। जल निगम ने 80 फिट रोड में गड्ढा खोदा था, जो खुदा पड़ा है। जगह–जगह खुले मेनहोल है। पूर्व में व्यवस्था दी गई थी कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो सम्बन्धित पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जायेगी। अतः उसके दृष्टिगत खुले मेनहोलों पर ढक्कन लगवा दिये जाये। कर निर्धारण के सम्बन्ध में जोन के बाबू के पास जाया जाता है परन्तु शिकायत न सुनने पर जब नगर आयुक्त से शिकायत की जाती है और नगर आयुक्त द्वारा आदेशित करने पर पुनः पत्र बाबू के पास पहुँचता है, इससे बाबू अपने आप को और गौरवान्वित महसूस करता है, अतः त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की जाये। लखनऊ दिल्ली की भाँति किन्नरों के सम्बन्ध में व्यवस्था दी जाये। दो वर्ष हो गये है, समस्यायें ही बताई गई है, उस पर पूर्णतः क्रियान्वयन नही हुआ है।

अध्यक्ष ने कहा कि जो आप कह रहे है वह सत्य से परे है। विकास बहुत हुआ है, इसके सम्बन्ध में आप संज्ञान ले सकते है।

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने पुनः अपनी बात को आगे बढ़ाते हुये कहा कि विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्यो के पत्थरों पर भी मेयर, पार्षद एवं नगर आयुक्त का नाम लिखा जाये।

अध्यक्ष ने सभागार में सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों के सम्बन्ध में नगर आयुक्त से विचार व्यक्त करने के लिये कहा।

नगर आयुक्त ने कहा कि सदन की बैठक में मा0 पार्षदों ने संवेदनहीन अफसरों की कार्य प्रणाली पर आयना दिखाया है। अतः अधिकारियों द्वारा कार्यप्रणाली पर सुधार लाया जाये। समस्याओं का विशेष ध्यान दिया जायेगा। कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम ठीक हो जाये। वास्तविकता यह है कि जनता की समस्यायें ज्यादा बढ़ गई है जबकि मैन पावर/अधिकारी कम है, संसाधन भी सीमित है। नगर निगम कुछ वार्डो में स्वयं कूड़ा उठा रहा है और कुछ वार्डो में एटूजेड द्वारा सफाई व कूड़ा उठाया जा रहा है। सफाई कर्मचारी के स्वीकृत 13000 पदों की जगह मात्र 6000 सफाई कर्मी है, कूड़ा वाहन 166 की जगह 22 ही है, शहर की सफाई पर सजगता दिखाते हुये एटूजेड की गतिविधियों पर निगरानी हेतु जाँच की जा रही है, एटूजेड की कार्य प्रणाली को ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ। सफाई व्यवस्था पर मा0 महापौर के निर्देशन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, कूड़े अड्डों के प्लेटफार्म ठीक कराये जायेंगे। प्रत्येक सोमवार को हर जोन में नागरिक समस्याओं के समाधान हेतु शिविर लगायेंगे तथा छोटी–छोटी समस्याओं का त्वरित निस्तारण वहीं पर कर दिया जायेगा। मा0 महापौर जी आपकों विश्वास दिलाता हूँ जो भी समस्या है मुझे बतायें उसका निस्तारण स्वयं कराऊँगा साथ ही सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये।

मुख्य अभियन्ता नगर निगम ने कहा कि मा0 सदन के सामने समस्यायें रखी गई। नगर निगम में ठेकेदारों की बात होती है कि बगैर अनुबन्ध के कार्य हो जाते है। वर्तमान में ऐसा नही है, ठेकेदार कार्य नही करते है क्योंकि यहाँ के ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति ठीक नही है। ठेकेदारों की संख्या बढ़ाना चाहता हूँ चूँकि कार्यो की संख्या बढ़ रही है। इतने कार्यो की निविदायें पूर्व में कभी भी नही आमंत्रित की गई। यदि ठेकेदार ने एक कार्य समय से नही पूर्ण किया जिस पर उसकों काली सूची में डाल दिया गया तो उसके द्वारा कराये जा रहे अन्य क्षेत्रों के कार्य भी प्रभावित होंगे। इस पर मेरे द्वारा व्यवस्था दी गई थी कि जिन ठेकेदारों ने कार्यादेश के अनुसार समय पर कार्य नही पूर्ण किया है तो भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में वह निविदा नही डाल सकेंगे। सन्दर्भित पर मैंने ठेकेदारों के साथ बैठक भी की है। छोटे ठेकेदारों का भुगतान नही होगा तो कार्य कैसे करेंगे। यदि किसी ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ नही किया तो उससे स्वयं बात कर कार्य प्रारम्भ कराने का प्रयास करता हूँ साथ ही कहता हूँ कि यदि उसकी क्षमता नही है तो उसने ज्यादा कार्य क्यों लिये। नगर निगम निधि के अन्तर्गत तैयार की गई पत्रावलियों का भुगतान नगर निगम निधि में धनराशि न होने के कारण राज्य वित्त आयोग से प्रस्तावित किया गया है। चूँकि राज्य वित्त आयोग में 90 करोड़ की धनराशि उपलब्ध होने को लेखा विभाग द्वारा बताया गया है। पूर्व की पत्रावलियों का भी भुगतान राज्य वित्त आयोग से हो रहा है। क्षेत्र में समानता के आधार पर कार्य कराये जाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा आवश्यक कार्य भी कराये जा रहे है। कार्यो की मानक एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी कार्यो के इस्टीमेट एवं उनका विस्तृत विवरण नगर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कभी भी किसी भी समय देखे जा सकते है। जल निकासी हेतु यदि कोई नाला किसी क्षेत्र का छूट रहा हो तो, उसे भी लिया जायेगा। पूर्व में शहर के नाला सफाई हेतु पर्याप्त मशीनरी नही थी, वर्तमान में मा0 महापौर जी के निर्देशानुसार बड़ी मशीनें खरीदनें की निविदा आमंत्रित कर ली गई है, मशीनरी क्रय करने के पश्चात् नाला सफाई का अभियान पूरे वर्ष भर चलता रहेगा। नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार नगर निगम कार्य प्रणाली में गतिशीलता लाने के लिये मोबाइल ट्रैक चिप की भी व्यवस्था की जा रही है।

महाप्रबन्धक जलकल विभाग ने कहा कि जलकल विभाग सीवर एवं पानी की व्यवस्था देखता है, आज सदन की बैठक में मुख्य रूप से हैण्डपम्प अधिष्ठापन एवं चोक सीवर की समस्या से अवगत कराया गया है। जब मैंने चार्ज लिया था तो मैंने जल निगम से प्रत्येक वार्ड में दो हैण्डपम्प रिबोर करने एवं दो हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में उनके परीक्षण हेतु पत्र लिखकर पूँछा था, जिसे संज्ञान में लेकर कार्यवाही कराई जा रही है। नये हैण्डपम्प अधिष्ठापन की सूचना भी माँग रहा हूँ जिससे तद्नुसार कार्यवाही की जा सके। 13वें वित्त आयोग के

अन्तर्गत दो–दो हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु नगर निगम से धन मिल चुका है, जिसके लिये जोनल इंजीनियर को अधिष्ठापन की कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। अगले दो महीने तक कार्य पूर्ण हो जायेंगे। जल निगम द्वारा 76 पम्पिंग स्टेशन तो बना दिये गये है परन्तु उनमें से कोई भी चालू नही है, जिससे शहर में जलापूर्ति बाधित है। सीवर की समस्या का कोई त्वरित समाधान नही है, क्योंकि सीवर का पानी भी कई जगह नालों में मिला है। डॉट नाला सफाई न होने के कारण वह चोंक हो गये है, जिससे न नाले का पानी जा पाता है और न ही सीवर का, इसी के समाधान हेतु जल निगम द्वारा सीवर लाईन डाली जा रही है, परन्तु अन्तिम निस्तारण तब तक नही होगा जब तक ट्रंक सीवर लाईन नही पड़ जायेगी और उनका मेन लाईन से कनेक्शन नही हो जायेगा। गोबर–भूँसा से सीवर चोंक हो जाता है, क्षेत्रीय पार्षदों की सहमति से इस समस्या का भी निस्तारण कर रहा हूँ।

श्री मो0 सुहैल ने कहा कि 26 जून को शिकायती पत्र लिखा था, उस पर क्या कार्यवाही की गई।

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग ने स्पष्ट किया कि तत्क्रम में अधिशाषी अभियन्ताओं को वार्ड समस्या समाधान हेतु योजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। प्राथमिकता तय करते हुये धन की उपलब्धता पर कार्य कराये जायेंगे।

नगर आयुक्त ने भी स्पष्ट किया कि लिखित पत्र दे तद्नुसार निस्तारण कराया जायेगा।

श्री आर.एम.अस्थाना, मुख्य अभियन्ता (वि0/याँ0) ने कहा कि मार्गप्रकाश का कार्य केवल मरम्मत का है। स्टाफ की कमी के कारण दिक्कत आ रही है। शहर बढ़ा परन्तु स्टाफ सेवानिवृत्त होने एवं नई नियुक्ति न होने के कारण कम होता जा रहा है। अतः मा0 पार्षदगणों से अनुरोध है कि यदि कोई कार्य कराना हो तो दूरभाष पर अवगत करायें तो तद्नुसार उनका निस्तारण किया जायेगा।

जिस पर सभी पार्षदों ने कहा कि आप फोन तक तो उठाते नही है, शिकायत का निस्तारण किस प्रकार कराया जायेगा।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि कृपया कारण न बतायें, जो पार्षद पत्र लिख रहे है, उन पर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई, से अवगत करायें।

श्री आलोक शुक्ल ने कहा कि 12 महीनें हो गये है पत्रावली तैयार हुये परन्तु 12 प्रकाश बिन्दुओं में से 02 प्रकाश बिन्दुओं को ठीक करने हेतु गाड़ी भेजी जाती है।

श्री एस.के.गुप्ता प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि जल निगम द्वारा गंगा बैराज से डाली जा रही पाइप लाइन से जलापूर्ति समस्या का समाधान आंशिक रूप से हो जायेगा। बेनाझाबर रोड से बेकनगंज, रामबाग क्षेत्र तथा दक्षिण क्षेत्र में भी जलापूर्ति हो सकेगी। शहर में जल

ह0.....महापौर

निगम द्वारा की जा रही रोड कटिंग के सम्बन्ध में अवगत कराया कि जलापूर्ति एवं सीवर लाईन डालने हेतु रोड कटिंग करना भी अनिवार्य है तद्नुसार रोड कटिंग के पश्चात् सड़क के पुर्ननिर्माण हेतु 21 दिन का समय निर्धारित है, जिसके पश्चात् सड़क यातायात योग्य बना दी जाती है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ने जलापूर्ति लाईन चालू होने की समय सीमा से अवगत कराने को कहा।

श्री गुप्ता ने मार्च, 2015 तक कार्य पूर्ण होने को अवगत कराया।

श्री अतुल त्रिपाठी ने रामबाग की सीवर खुदाई के सम्बन्ध में समय सीमा बताने को कहा।

श्री विनय राय, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने कहा कि जो चार फार्मो के विषय में जानकारी माँगी गई है तत्क्रम में अवगत कराना है कि नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–170 में उत्तर प्रदेश सम्पत्ति की आवासीय एवं व्यवसायिक अलग–अलग व्यवस्थायें दी गई है। वर्तमान में सम्पत्तिकर नियमावली–2013 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि व्यवसायिक सम्पत्तियों पर स्वकर की तर्ज पर टैक्स लगाया जा रहा है साथ ही जो भवन टैक्स की परिधि से छूट गये है उन्हें टैक्स नेट में लाने हेतु प्रपत्र भरवाये जा रहे है। व्यवसायिक भवनों के सम्बन्ध में जो दिनांक–06.03.2014 की कार्यकारिणी में सूचनार्थ प्रेषित की गई थी, तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि 2013 में जो नियमावली प्रस्तुत की गई है, आप कैसे चिन्हित करेंगे कि भवन कर की परिधि से छूटे है। समस्त भवन स्वामियों को सम्मिलित करेंगे या आंशिक भवन स्वामियों को। वर्ष 2012 के अन्त में सामान्य कर में 10 प्रतिशत वृद्धि लागू हुई थी तो इस समय पुनः वृद्धि क्यों की जा रही है जबकि नगर निगम अधिनियम के द्वारा यह प्राविधानित है कि सामान्य कर में दो वर्ष के बाद ही वृद्धि की जायेगी।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि शासन द्वारा कर निर्धारण में आत्म सुविधा हेतु यह प्रपत्र तैयार किया है, साथ ही यदि कोई तथ्य छिपाये गये तो दोषी भवन स्वामी दण्डित भी किये जायेंगे, यह कोई नया कर निर्धारण नही है। समस्त व्यवसायिक भवनों का पुनः सर्वे होगा। आवासीय भवनों से प्रपत्र भरकर माँगे गये है।

अध्यक्ष ने पुनरीक्षित बजट वर्ष 2013–14 एवं मूल बजट वर्ष 2014–15 को प्रस्तुत करने हेतु मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देश दिये।

निर्देशों के क्रम में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–149 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 का पुनरीक्षित बजट तथा धारा–146 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 का मूल बजट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव संख्या–44

पुनरीक्षित बजट
वर्ष 2013–2014
आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2012-13	प्रस्तावित धनराशि 2013-14	वास्तविक आय अगस्त 2013 तक	प्रस्तावित पुनरीक्षित 2013-14
	Revenue Income		राजस्व आय					
1101	Tax Revenue	1101	करों से आय	3	6697.47	10001.35	2398.11	10001.35
1201	Assigned revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के अधीन आय	3	7.63	25.00	1.05	25.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	81.70	104.50	37.88	104.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	4	1087.29	3233.00	308.44	2472.50
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	157.75	193.00	52.74	198.00
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	5	23495.49	24165.00	19671.18	38665.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	5	30.61	101.00	0.00	51.00
1801	Income from Interests	1801	ब्याज से आय	5	1577.40	906.00	47.52	906.00

1901	Other Income	1901	अन्य आय	6	40.19	62.00	12.02	62.00
	TOTAL –A-		**योग (अ)**		**33175.53**	**38790.85**	**22528.93**	**52485.35**
	Capital Income		**पूँजीगत आय**					
3111	Earmarked Funds	3111	**कार्य विशेष निधियाँ**					
	JNNURM Scheme		जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना	7	33434.32	25102.00	4172.25	25102.00
	Finance Commission: Thirteenth		वित्त आयोग : तेरहवाँ	7	3959.30	4000.00	5748.19	6150.00
	Special Fund: Infrastructure Fund:		अवस्थापना निधि	7	2107.67	3150.00	1131.60	3450.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्यविशेष निधियाँ	8	178.45	795.00	330.19	795.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	8	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	8	6726.24	11556.00	1431.63	11556.00
	TOTAL –B-		**योग (ब)**		**46405.98**	**44607.00**	**12813.86**	**47057.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)					
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणधीन कार्य के सापेक्ष संचय	8	9475.35	76100.00	0.00	76100.00
3111	JNNURM Fund (ULB Share)	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम. : निकाय अंश	9	0.00	0.00	14.51	0.00
	TOTAL –C-		**योग (स)**		**9475.35**	**76100.00**	**14.51**	**76100.00**

ह0.....महापौर

	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)		**89056.86**	**159497.85**	**35357.30**	**175642.35**
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेषः–	9	11787.46	11598.48	16029.68	11598.48
	Grand Total		**महायोग**		**100844.32**	**171096.33**	**51386.98**	**187240.83**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2012-13	प्रस्तावित धनराशि 2013-14	वास्तविक व्यय अगस्त 2013 तक	प्रस्तावित पुनरीक्षित 2013-14
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय					
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	10	23609.63	23095.00	9797.77	24605.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	11	644.23	1349.50	256.27	1449.50
	Operation & Maintenance		अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	12	5950.46	12540.40	3295.36	24385.40
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	13	249.46	508.00	0.68	508.00
	TOTAL –D-		**योग (द)**		**30453.78**	**37492.90**	**13350.08**	**50947.90**
	Capital Expenses		पूँजीगत व्यय					
3111	Earmarked Fund	3111	**कार्य विशेष निधियाँ**					
	Finance Commission		वित्त आयोग	14	1293.65	2200.00	1620.80	3000.00

ह0.....महापौर

	Insfrastructure Fund		अवस्थापना निधि	14	3180.45	3700.00	1222.06	3700.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्य विशेष निधियाँ	14	201.22	855.00	153.34	855.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	14	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	506.00	0.00	506.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	16	445.77	1250..00	198.03	1250.00
	Total –E-		**कुल योग (य)**		5121.09	8515.00	3194.23	9315.00
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन. एन.यू.आर.एम.)					
3112	ULB Share Transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	14	6726.24	11450.00	1431.63	11450.00
4121	Work in Progress under JNNURM Projects	4121	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	16	9475.35	76100.00	0.00	76100.00
	JNNURM Scheme Advance		जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अग्रिम	17	34082.26	24572.00	4735.36	24572.00
	TOTAL –F-		**योग (र)**		50283.85	112122.00	6166.99	112122.00
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)		85858.72	158129.90	22711.30	172384.90
3401	Less :- Outstanding dues/Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें/उचन्त खाते	18	1045.20	0.00	2575.69	0.00

ह0.....महापौर

	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय		**84813.52**	**158129.90**	**25286.99**	**172384.90**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेषः–	18	16030.80	12966.43	26099.99	14855.03
	Grand Total		**महायोग**		**100844.32**	**171096.33**	**51386.98**	**187240.83**

सभापति ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दरें पुनरीक्षित किये जाने से व्ययानुमान की राशि बढ़ी है और ई–टेंडरिंग कराये जाने के कारण कुछ कार्य विलम्बित हुये है, जिन्हें कालान्तर में कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कराया जायेगा। नगर निगम निधि के अन्तर्गत कार्य सम्पन्न होने है और नगर निगम की धनराशि लैप्स नही होती है। अतः कानपुर नगर में विकास को दृष्टिगत रखते हुये पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया जाना समीचीन होगा। वार्डो में विकास कार्यो को सीमा में नही बांधा जाना चाहिये।

..... सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2013–14 के पुनरीक्षित बजट में आय पक्ष में प्रारम्भिक अवशेष रू0 11598.48 लाख को दर्शाते हुये कुल धनांक रू0 187240.83 लाख तथा व्यय पक्ष में अन्तिम अवशेष 14855.03 लाख के साथ कुल धनांक–187240.83 लाख को स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–45

मूल बजट

वर्ष 2014–2015

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2012-13	प्रस्तावित धनराशि 2013-14	वास्तविक आय अगस्त 2013 तक	प्रस्तावित पुनरीक्षित 2013-14
	Revenue Income		722.61		0.00			
1101	Tax Revenue	1101	करों से आय	3	7420.08	10001.35	5379.39	11101.80

ह0.....महापौर

1201	Assigned revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के अधीन आय	3	7.63	25.00	1.65	25.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	81.70	104.50	81.22	104.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	4	1087.29	2472.50	685.80	2472.50
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	157.75	198.00	85.99	198.00
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	5	23495.49	38665.00	35895.53	38665.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	5	30.61	51.00	0.00	51.00
1801	Income from Interests	1801	ब्याज से आय	5	1577.40	906.00	299.91	1806.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	6	40.19	62.00	52.59	62.00
	TOTAL –A-		**योग (अ)**		**33898.14**	**52485.35**	**42482.09**	**54485.80**
	Capital Income		**पूँजीगत आय**					
3111	Earmarked Funds	3111	**कार्य विशेष निधियाँ**					
	JNNURM Scheme		जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना	7	33434.32	25102.00	14942.74	4271.00
	Finance Commission: Thirteenth		वित्त आयोग : तेरहवाँ	7	3959.30	6150.00	5878.39	7150.00
	Special Fund: Infrastructure Fund:		अवस्थापना निधि	7	2107.67	3450.00	2866.35	3450.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्यविशेष	8	178.45	795.00	346.07	795.00

ह0.....महापौर

			निधियाँ					
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	8	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	8	6726.24	11556.00	7181.13	2906.00
	TOTAL –B-		**योग (ब)**		**46405.98**	**47057.00**	**31214.68**	**18576.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन. एन.यू.आर.एम.)					
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणधीन कार्य के सापेक्ष संचय	8	9475.35	76100.00	9000.38	61399.44
3111	JNNURM Fund (ULB Share)	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम. : निकाय अंश	9	0.00	0.00	36.01	0.00
	TOTAL –C-		**योग (स)**		**9475.35**	**76100.00**	**9036.39**	**61399.44**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)		**89779.47**	**175642.35**	**82733.16**	**134461.24**
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेषः–	9	11787.46	11598.48	16029.68	14855.93
	Grand Total		**महायोग**		**101566.93**	**187240.83**	**98762.83**	**149317.17**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2012-13	प्रस्तावित धनराशि 2013-14	वास्तविक व्यय अगस्त 2013 तक	प्रस्तावित पुनरीक्षित 2013-14

ह0.....महापौर

	Revenue Expenses		राजस्व व्यय					
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	10	23609.63	24605.00	19708.61	25620.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	11	1366.84	1449.50	565.21	1808.00
	Operation & Maintenance		अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	12	5950.46	24385.40	6672.67	25066.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	13	249.46	508.00	0.86	508.00
	TOTAL –D-		**योग (द)**		**31176.39**	**50947.90**	**26947.34**	**53002.00**
	Capital Expenses		**पूँजीगत व्यय**					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
	Finance Commission		वित्त आयोग	14	1293.65	3000.00	2844.63	4000.00
	Insfrastructure Fund		अवस्थापना निधि	14	3180.45	3700.00	1458.52	4100.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्य विशेष निधियाँ	14	201.22	855.00	432.05	857.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	14	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	506.00	0.00	107.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	16	445.77	1250.00	373.34	1430.00
	Total –E-		**कुल योग (य)**		**5121.09**	**9315.00**	**5108.55**	**10498.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड (जे.एन. एन.यू.आर.एम.)**					
3112	ULB Share Transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	14	6726.24	11450.00	7181.14	2800.00

ह0.....महापौर

4121	Work in Progress under JNNURM Projects	4121	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	16	9475.35	76100.00	9000.38	61399.45
	JNNURM Scheme Advance		जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अग्रिम	17	34082.26	24572.00	9700.37	4201.05
	TOTAL –F-		**योग (र)**		**50283.85**	**112122.00**	**25881.90**	**68400.50**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)**		**86581.33**	**172384.90**	**57937.79**	**131900.50**
3401	Less :- Outstanding dues/Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें/उचन्त खाते	17	1045.20	0.00	1636.83	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय		**85536.13**	**172384.90**	**59574.62**	**131900.50**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेषः–	17	16030.80	14855.93	39188.21	17416.67
	Grand Total		**महायोग**		**101566.93**	**187240.83**	**98762.83**	**149317.17**

..... सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2014–15 के मूल बजट में आय पक्ष में प्रारम्भिक अवशेष रू0 14855.93 लाख को दर्शाते हुये कुल धनांक रू0 149317.17 लाख तथा व्यय पक्ष में अन्तिम अवशेष 17416.67 लाख के साथ कुल धनांक–149317.17 लाख को स्वीकृत प्रदान की गई।

ह0.....महापौर

प्रस्ताव संख्या–46

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 04.03.14 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 274 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

सभापति ने समिति के सदस्यों को अवगत कराते हुये कहा कि जलकल विभाग भी नगर निगम का ही अंग है परन्तु वैधानिकता की दृष्टि से इसका बजट अलग होता है। अतः महाप्रबन्धक, जलकल विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह जलकल विभाग के वित्तीय वर्ष 2014–15 के मूल बजट को समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

निर्देशों के क्रम में महाप्रबन्धक जलकल विभाग ने फाईनेंस आफीसर श्री ए.के. शुक्ला को समिति के समक्ष मूल बजट प्रस्तुत करने के लिये कहा। तद्नुसार फाइनेंस आफीसर द्वारा मूल बजट निम्नवत् प्रस्तुत किया गया :–

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

वार्षिक बजट वर्ष 2014–15

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक आय 2012–13		प्रस्तावित आय 2013–14		वास्तविक आय दिसम्बर, 2013		प्रस्तावित आय 2014–15
	अ–	राजस्व आय –							
1100201		जलकर	3879.47		4660.00		2652.57		5260.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1489.70		1560.00		1117.09		1530.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	1321.43		2005.00		697.70		2205.00

ह0.....महापौर

1408002		अन्य प्राप्तियॉ	18.82		20.00		18.22		20.00
1408001		अधिभार	6.53		10.00		2.21		10.00
1401502		नियमितीकरण	14.45		15.00		11.78		15.00
1401401		विकास शुल्क	75.05		120.00		85.94		120.00
		योग राजस्व –	**6805.45**		**8390.00**		**4585.51**		**9160.00**
	ब–	**असंचालन आय–**							
3111301		डिपाजिट कार्य	35.00		-		89.79		-
3112301		अनुदान (विद्युत मद)	-		1920.00		-		2940.00
		कुल आय–	**6840.45**		**10310.00**		**4675.30**		**12100.00**
3311001	**स–**	**ऋण से प्राप्ति**	-		-		-		-
		कुल योग–(अ+ब+स)	**6840.45**		**10310.00**		**4675.30**		**12100.00**

(रू० लाख में)

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

वार्षिक बजट वर्ष 2014–15

(रू० लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक व्यय 2012–13		प्रस्तावित व्यय 2013–14		वास्तविक व्यय दिसम्बर, 2013		प्रस्तावित व्यय 2014–15
	अ–	**संचालन व्यय –**							

ह0.....महापौर

2101001	1	अधिष्ठान व्यय	5163.98		6320.00		3936.15		6950.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	325.25		1920.00		10.00		2940.00
2303004	3	पूर्तियॉ	418.02		530.00		187.56		550.00
2308007	4	अन्य व्यय	29.73		53.00		20.84		63.00
2305006	5	रख–रखाव व्यय	540.79		790.00		395.78		820.00
2308008	6	ड्रेजिंग कार्य	22.38		20.00		15.26		30.00
2208003	7	जनरल टैक्स	214.89		-		235.87		-
		योग संचालन व्यय –	**6715.04**		**9633.00**		**4801.46**		**11353.00**
	ब–	**असंचालन व्यय –**							
4104007	1	जल मापक यन्त्रों का क्रय	-		2.00		-		2.00
4106001	2	मशीनों तथा यन्त्रों का क्रय	7.91		32.00		-		40.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	1.67		5.50		2.21		10.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	-		10.00		-		10.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	1.74		15.00		-		15.00
4107006	6	आकस्मिक पूंजीगत व्यय	-		25.00		**4.03**		80.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-		20.00		-		20.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस/पम्प	1.00		20.00		6.11		45.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	5.85		20.00		11.41		20.00
3311001	10	ऋण एवं व्याज का भुगतान	-		5.50		-		6.00
3111301	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान	126.1		-		43.43		-
		योग असंचालन व्यय –	**144.27**		**155.00**		**67.19**		**248.00**

		कुल योग (अ ब) व्यय	6859.31		9788.00		4868.65		11601.00
		कुल योग आय	6840.45		10310.00		4675.30		12100.00
		अवशेष	-18.86		522.00		-193.35		499.00

फाइनेंस आफीसर ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि जलकल विभाग द्वारा वसूले गये सीवर एवं जलकर की धनराशि से अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन के साथ अपने सीमित संसाधनों से कानपुर नगर के नागरिकों की पानी/सीवर की समस्याओं का यथासम्भव समाधान कराता है। इसके दृष्टिगत पिछले वित्तीय वर्ष 2013–14 के मूल बजट में मामूली सी 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है, जो सदन के स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है, कृपया स्वीकृत करने का कष्ट करें।

..... सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2014–15 के मूल बजट में आय के पक्ष में दर्शायी गई धनराशि रू0 12100.00 लाख तथा व्यय के पक्ष में अन्तिम अवशेष के रूप रू0 499.00 लाख के साथ धनांक– रू0 11,601.00 लाख इसप्रकार धनांक–रू0 12100.00 लाख को स्वीकृत प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–47</u>

प्रेषक,

संख्या–700/9.1.2014–21सा/09

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

ह0.....महापौर

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 07 फरवरी, 2014

विषयः वेतन समिति –2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था में संशोधन/स्पष्टीकरणके संबंध में।

महोदय,

वेतन समिति,2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) व्यवस्था अनुमन्य किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या 2244/नौ–1–1–10–21सा/2009 दिनांक 26 जुलाई, 2010 निर्गत किया गया है। इस संबंध में (वित्त वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या –वे.आ.–2–2014/दस–62 (एम)/2008 टीसी दिनांक 22.12.2011 द्वारा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.)की व्यवस्था का संशोधन/स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये उपरोक्तानुसार लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः

(1) नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 18 तथा 26 वर्ष की सेवा पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने की लागू व्यवस्था के स्थान पर क्रमशः 10, 16तथा 26 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ अनुमन्य कराये जायेगें।

3. उक्त निर्णय के फलस्वरूप उपर्युक्त शासनदेश दिनांक 26 जुलाई, 2010 के प्रस्तर–2 (2) (1) निम्नानुसार संशोधित माने जायेगेंः–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर संतोष जनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय स्तरोन्नयन एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि जो भी पहले हो से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु यदि संबंधित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवापश्चात प्राप्त होती है तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर प्रोन्नति के पद के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

ह0.....महापौर

(ख) ऐसे कार्मिक जिन्हे 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य हो चुका है, उन्हे उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने के तिथि से 02 वर्ष की सेवा अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो , से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम प्रोन्नतीय पद/अग्रले वेतनमान के सादृश्य गेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ग) ए.सी.पी. की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड रू0 1900 के उपरान्त उपलब्ध गेड वेतन रू0 2000 को इग्नोर किया जायेगा, फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 1900 का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400 माना जायेगा।

4. शासनादेश संख्या 2244/नौ–1–10–21सा/2009 दिनांक 26 जुलाई, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्थायें यथावत प्रभावी रहेगी।

.5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या –वे.आ.2–90/दस–2013, में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्याः 700 (1)/नौ–1–2013, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग/जल संस्थान उ0प्र0।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8।
8. वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2
9. नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।

ह0.....महापौर

10.गार्ड फाइल/कम्पयूटर सेल।

आज्ञा से,
ह0.....
(राजेश बहादुर)
अनु सचिव

..... पढ़ा गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–48</u>

प्रेषक,

<u>संख्या–504/नौ–4–14–35ज/2010</u>

श्री प्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागर निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 26 अप्रैल,2014

विषयः उत्तर प्रदेश के नागर निकायों के कार्यरत/सेवा निवृत्त कार्मिको को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के विषय में ।

ह0.....महापौर

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 5391/नौ–4–10–35ज/2010, दिनांक 02 नवम्बर, 2010 एवं शासनादेश संख्या– 665–नो–4–11–35ज/2010, दिनांक 22 मार्च, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों में निर्धारित प्रकिया के अनुसार नागर निकाय के कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये पूर्व में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुये चिकित्सा विभाग की अधिसूचना संख्या – 2775/5–6–11–1082/1987 दिनांक 20.09.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 प्रख्यापित की गई है तथा चिकित्सा विभाग की अधिसूचना संख्या– 474/5–6–11–1082/1987टीसी, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा उक्त नियमावली ,2011 में संशोधन करते हुये उ0प्र0 सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली,2014 प्रख्यापित की गई है।

3. इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त नागर निकाय के कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिको को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबध में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 02.11.2010 तथा 22.03.2011 को अवक्रमित करते हुये चिकित्सा विभाग द्वारा जारी उत्तर प्रदेशसरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)(प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 को अंगीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त नियमावली के शर्तो, नियमो तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या–504(1)/नौ–4–14–35ज/2010तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

ह0.....महापौर

5. नगर विकास अनुभाग–1/3/6/7
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0.....
(श्रीप्रकाश सिंह)

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–49

प्रेषक,

संख्या–2076/9–1–14–66सा/2001

श्री प्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक
   स्थानीय निकाय उ0प्र0,लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम।

नगर विकास अनुभाग–1

लखनऊः दिनांक 09 जून, 2014

विषयः–**प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में सेवाप्रदाता के माध्यम से नियोजित सफाई कार्मिकों को रू0 250/– प्रतिदिन की दर से भुगतान करने तथा भविष्य**

ह0.....महापौर

में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ,1948 के प्रावधानों में निहित शर्तो एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में सेवाप्रदाता के माध्यम से नियोजित सफाई कार्मिकों को रू0 250/– (रूपये दो सौ पचास मात्र) प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार ऐसे सफाई कार्मिको को रू0 250/– की दर से भुगतान करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय स्थानीय निकाय में सेवाप्रदाता के माध्यम से नियोजित सफाई कार्मिको का पारिश्रमिक, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार रू0 250/– से अधिक होने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्राविधानों में निहित शर्तो के अनुसार शासन के नगर विकास विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–8–1970/दस–14 दिनांक 09 जून,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. अध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0, शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ।
5. समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग/जल संस्थान, उ0प्र0।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/वित्त ई–8/वि.(वे.आ.) अनुभाग–2

ह0.....महापौर

8. बेबमास्टर , नगर विकास विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभाग की वेवसाइट में तत्काल अपलोड करें।

आज्ञा से,
ह0.....
(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या–50

प्रेषक,

संख्या–272 / नौ–4–14–02नियम / 2005टी.सी.

श्री प्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–4

लखनऊः दिनांक 19 जून, 2014

ह0.....महापौर

विषयः—**वेतन समिति (2008) के तेरहवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में जारी दिनांक 04.07.2013 के अनुसार संयुक्त नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/समकक्ष पदों की संख्या का निर्धारण.**।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के तेरहवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या—3446/नौ—1—13—230सा/2013, दिनांक 04.07.2013 द्वारा संयुक्त नगर आयुक्त एवं उपनगर आयुक्त /समकक्ष पदों का पुनर्गठन/वेतनमान के पुनरीक्षण व पदों की भर्ती व्यवस्था निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश के पूर्व उपनगर आयुक्त/संयुक्त सचिव, विकास प्राधिकरण/अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड के पदों की कुल संख्या— 59 थी। शासनादेश दिनांक 04.07.2013 द्वारा उपनगर आयुक्त/संयुक्त सचिव, विकास प्राधिकरण/अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड के 59 पद के स्थान पर 40 पद पर करते हुये संयुक्त नगर आयुक्त के 19 पद निर्धारित किये गये है।

2— अतः वेतन समिति (2008) के तेरहवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या—3446/नौ—1—13—230सा/2013, दिनांक 04.07.2013 द्वारा संयुक्त नगर आयुक्त एवं उपनगर आयुक्त /समकक्ष पदों की निगमवार, प्राधिकरणवार तथा सिटी बोर्ड की पालिकावार संख्या निम्नवत् निर्धारित की जाती है तथा नगर निगम लखनऊ में संयुक्त नगर आयुक्त के सृजित 04पदों के सापेक्ष 01 संयुक्त नगर आयुक्त की तैनाती नगर निकाय निदेशालय में की जायेगी तथा उनके वेतन का भत्तों का भुगतान नगर निगम लखनऊ से किया जायेगाः—

क्रमांक	नगर निगम/प्राधिकरण का नाम/सिटी बोर्ड स्तर की पालिका	उप नगर आयुक्त/सुयुक्त सचिव/अधिशासी अधिकारी(सिटी बोर्ड)के पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमान में उपनगर आयुक्त/संयुक्त सचिव/ अधिशासी अधिकारी (सिटी बोर्ड) के पदों की संख्या	संयुक्त नगर आयुक्त के पदों की संख्या
1	नगर निगम लखनऊ	05	02	04
2	नगर निगम कानपुर	06	03	03
3	नगर निगम वाराणसी	04	02	02
4	नगर निगम इलाहाबाद	04	02	02
5	नगर निगम आगरा	04	02	02
6	नगर निगम बरेली	03	02	01
7	नगर निगम मेरठ	03	02	01

ह0.....महापौर

8	नगर निगम गाजियाबाद	02	01	01
9	नगर निगम मुरादाबाद	02	01	01
10	नगर निगम गोरखपुर	03	01	01
11	नगर निगम अलीगढ़	02	02	—
12	नगर निगम झांसी	01	01	01
13	नगर निगम सहारनपुर	02	02	—
14	विकास प्राधिकरण आगरा	01(संयुक्त सचिव)	—	—
15	विकास प्राधिकरण वाराणसी	01(संयुक्त सचिव)	01(संयुक्त सचिव)	—
16	नगर पालिका परिषद,सम्भल	01	01	—
17	नगर पालिका परिषद अमरोहा	01	01	—
18	नगर पालिका परिषद, हापुड़	01	01	—
19	नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर	01	01	—
20	नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरपुर	01	01	—
21	नगर पालिका परिषद, शाहजहॉपुर	01	01	—
22	नगर पालिका परिषद, मथुरा	01	01	—
23	नगर पालिका परिषद, फर्रूखाबाद	01	01	—
24	नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर	01	01	—
25	नगर पालिका परिषद, सीतापुर	01	01	—
26	नगर पालिका परिषद, फैजाबाद	01	01	—
27	नगर पालिका परिषद, गोण्डा	01	01	—
28	नगर पालिका परिषद, जौनपुर	01	01	—
29	नगर पालिका परिषद, रामपुर	01	01	—
30	नगर पालिका परिषद, इटावा	01	01	—

31	नगर पालिका परिषद, फिरोजाबाद	01	01	—
योगः		**59**	**40**	**19**

भवदीय,
ह0.....
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या–272(1)/नौ–4–14–02नियम/2005टी.सी. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,आगरा/वाराणसी।
4. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी संबधित नगर पालिका परिषद।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8/वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग–2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0.....
(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव

..... पढ़ा गया।

ह0.....महापौर

प्रस्ताव संख्या–51

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 14.08.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 218 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

नगर आयुक्त के पत्रांक डी0/48/न.आ./प्रोजेक्ट सेल/2013–14 दिनांक 14.062013 जे.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर पेयजल पुर्नग्ठन योजना फार बेस्ट विंस डिस्ट्रिक्ट फेस–III (Part-1) अनुमानित लागत रू0 478.23 करोड़ की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन को **स्वीकृतार्थ प्रेषित।**

प्रस्ताव

कानपुर नगर में कुल 110 वार्ड हैं। जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत मानक के अनुरूप जलापूव्रि हेतु 67 वार्डो को कानपुर नगर पेयजल योजना फेज I तथा 33 वार्डो को कानपुर नगर पेयजल योजना फेज–II के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उक्त दोनों योजनाएं निर्माणाधीन है।

कानपुर नगर के वेसट सर्विस डिस्ट्रिक्ट एरिया के शेष 10 वार्डो में मानकों के अनुरूप जलापूर्ति हेतु जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण इकाई– III, उ.प्र. जल निगम, कानपुर द्वारा रू. 478.23 करोड़ का विस्तृत प्राक्कलन (डी.पी.आर.) तैयार किया गया है। इन वार्डो में 172.5 एल.पी.सी.डी. की दर से मध्य वर्ष 2045 में कुल 250 एल.एल.डी. पेयजल की आवश्यकता होगी, जिसमें 200 एम.एल.डी. की प्रतिपूर्ति डा. राम मनोहर लोहिया जल संपूर्ति योजना के अन्तर्गत गंगा बैराज पर पूर्व में निर्मित जल शोधन संयत्र से एवं शेष 50 एम.एल.डी. जल की व्यवस्था फेज– के अन्तर्गत निर्माणाधीन 200 एम.एल.डी. के जल शोधन संयत्र से की जायेगी। योजना के कुल लागत की 50 % धनराशि केन्द्र सरकार, 20 % धनराशि राज्य सरकार, तथा 30 % धनराशि नगर निगम, कानपुर वहन करेगी। योजना के निर्माण हेतु वांछित धनराशि का पोषण निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

1. केन्द्रांश – रू. 212.94 करोड़
2. राज्यांश – रू. 137.53 करोड़
3. नगर निगम का अंश – रू. 127.76 करोड़

डी.पी.आर. के अन्तर्गत 11 जोनल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण 29.752 कि.मी. क्लीयर वाटर फीडरमेन, 2.935 कि.मी. राइजिंगमेन, 200 से 2000 किली क्षमता के 11 सी.डब्लू.आर., 500 से 2150 किली क्षमता के 16 उच्च जलाशय के निर्माण, पूर्व में निर्मित 10 उच्च जलाशय के जीर्णाद्धार, 521.4 किमी. जल वितरण प्रणाली एवं 121156 डोमेस्टिक वाटर मीटर के अधिष्ठापन एवं बाउन्ड्रीवाल इत्यादि का कार्य प्रस्तावित किया गया है।

ह0.....महापौर

योजना के अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्य उ.प्र. जल निगम, द्वारा सम्पादित कराये जायेगें तथा पूर्ण किये गये कार्यो का रख–रखाव हस्तान्तरण के पश्चात जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर द्वारा स्वयं कराया जायेगा। परियोजना हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था नगर निगम, कानपुर द्वारा निःशुल्क किया जायेगा।

कानपुर नगर के वेस्ट सर्विस डिस्ट्रिक्ट एरिया की जलापूर्ति हेतु जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत रू. 478.23 करोड़ का विस्तृत प्राक्कलन(डी. पी.आर.) धनावंटन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उपर्युक्त प्रस्ताव स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी के माध्यम से प्रेषित किया जाना है।, जिसकी स्वीकृति मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन की **स्वीकृति** हेतु प्रेषित है।

..... स्वीकृत प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–52</u>

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 14.08.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 238 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत है।

विज्ञापन एवं विज्ञापन पट पर कर के सम्बन्ध में प्रस्तावित दरें नियामावली के अभाव में वर्ष 2003 की है। शासन द्वारा वर्ष 2009 में तैयार की गयी नियमावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में यह नियमावली विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0 465/9–9–2011–160ज/11 नगर विकास अनुभाग–9 दिनांक 13 मार्च 2012 के क्रम में तैयार की जानी थी, जिसमें " अधिनियम की धारा 199 में प्रारम्भिक प्रस्थापनाओं को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में यह प्राविधान है कि यदि (निगम) धारा 172 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई कर आरोपित करना चाहें तो वह संकल्प द्वारा कार्यकारिणी समिति की प्रस्थापनायें तैयार करने का आदेश देगी। उपधारा (1) के अधीन संकल्प के पारित हो जाने पर कार्यकारिणी समिति प्रस्थापनायें तैयार करेगी, और उन नियमो का पाण्डुलेख भी तैयार करेगी, जिन्हे वह धारा 219 में निर्दिष्ट विषयो के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनवाना चाहती है का उल्लेख किया गया है।

विज्ञापन कर नियमावली 2013 का प्रारूप तैयार कर मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसकी स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 21.03.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के प्र0 सं0 126 द्वारा प्रदान कर दी गयी है। किन्तु विज्ञापन कर आरोपित किये जाने हेतु पारित संकल्प

जिसके आधार पर वर्तमान में विज्ञापन कर की दरें प्रचलित है, काफी पुराना होने के कारण उपलब्ध नही हो पा रहा है। वैधानिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये यह संकल्प आवश्यक है।

अब यह नियमावली नई बनायी जानी है, जिसमें कई प्रकार के नये विज्ञापन के मदों को सम्मिलित करने व विज्ञापन कर की दरों में यथा आवश्यक संशोधन भी किया जाना भी वांछित है। दरों का निर्धारण किये हुए 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, अतः यदि माननीय कार्यकारिणी समिति स्वीकृत प्रदान करती है तो नयी संशोधित नियमावली की प्रतिस्थापना तैयार करने हेतु मा0 सदन द्वारा अपेक्षित संकल्प पारित करने का अनुरोध नियमतः किया जाना अपेक्षित है। तद्नुरूप नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 199 के अर्न्तगत प्रस्तुत **प्रस्ताव विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–53</u>

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 14.08.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 241 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

नगर आयुक्त के पत्रांक डी/189/सी0ए0ओ/13–14 दिनांक17.07.2013 नगर निगम की धारा 152(5) के अन्तर्गत मा0 **कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत एवं सदन पटल पर रखने हेतु प्रेषित।**

<u>प्रस्ताव</u>

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–4 के पत्रांक 1322/नौ–4–13–20लेखा/09 दिनांक 19 जून 2013 द्वारा नगर निगम मे मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के सृजित 06 पदों की निरन्तरता दिनांक 28.02.2014 तक बढ़ाई गई है। नगर निगम कानपुर की सीमा मे निरन्तर वृद्धि होने से नगर निगम का कार्य क्षेत्र विस्तृत हुआ है। नगर निगम को आय व्यय मे वृद्धि के साथ–साथ कुशल वित्तीय प्रबन्धन एवं नियंत्रण आवश्यक है।

अतः नगर निगम कानपुर मे कुशल वित्तीय प्रबन्धन एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी वेतनमान 12000–16500 पुनरीक्षित वेतन संरचना मे वेतन बैण्ड रू0– 15600–39100(ग्रेड पे रू0– 7600) के पद को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा–106 के अन्तर्गत स्थायी रूप से प्रति नियुक्ति पर सृजित करने का **प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी/माननीय सदन की स्वीकृति को प्रेषित किया जाता है।**

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

ह0.....महापौर

प्रस्ताव संख्या–54

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/179/न.आ./पर्या.अभि./13–14 दिनांक 31.12.13 को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर पेयजल योजना (इनर ओल्ड एरिया) हेतु उप सचिव, नगर विकास अनुभाग–9 उ.प्र. शासन के पत्र संख्या आरएफ.521/नौ–9–13–103 आरएफ/11 दिनांक 13 अक्टूबर, 2013 में शासन के वित्तीय वर्ष 2013–14 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत योजना की धनराशि ` 27094.89 लाख की पुनरीक्षित धनराशि ` 34080.00 लाख के सापेक्ष अवशेष निकायांश ` 2095.490 लाख की स्वीकृत प्रदान की गयी है। लेखा विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार सम्बन्धित खाता 07277000101135001 पुनरीक्षित धनराशि ` 34080.00 लाख के सापेक्ष 30 प्रतिशत निकायांश दिनांक 16.12.2013 को ` 2095.490 प्राप्त हुआ है। इस धनराशि को कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई उ.प्र. जल निगम, कानपुर योजना व कार्यहित में कार्यदायी संस्था को अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 31.12.2013 को प्रदान की गयी है।

..... स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–55

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/180/न.आ./पर्या.अभि./13–14 दिनांक 31.12.13 को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर पेयजल योजना पार्ट–II (अवशेष भाग) हेतु उप सचिव, नगर विकास अनुभाग–9 उ.प्र. शासन के पत्र संख्या आरएफ.521/नौ–9–13–103 आरएफ/11 दिनांक 13 अक्टूबर, 2013 में शासन के वित्तीय वर्ष 2013–14 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत योजना की धनराशि ` 37778.92 लाख की पुनरीक्षित धनराशि ` 47515.00 लाख के सापेक्ष अवशेष निकायांश ` 3372.826 लाख की स्वीकृत प्रदान की गयी है। लेखा विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार सम्बन्धित खाता 0727000101140359 में पुनरीक्षित धनराशि ` 47515.00 लाख के सापेक्ष 30 प्रतिशत निकायांश दिनांक 16.12.2013 को ` 3372.826 लाख प्राप्त हुआ है। इस धनराशि को कार्यदायी संस्था परियोजना

प्रबन्धक, बैराज इकाईए उ.प्र. जल निगम, कानपुर योजना व कार्यहित में कार्यदायी संस्था को अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 31.12.2013 को प्रदान की गयी है।

..... स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–56

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/201/न.आ./पर्या.अभि./13–14 दिनांक 07.02.14को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर सीवरेज (District-IV & Part-III) हेतु विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–5 उ.प्र. शासन के पत्र संख्या 8392521/नौ–5–2012–55 बजट/2006 टी.सी. दिनांक 31.12.2013 के क्रम निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ.प्र. के पत्रांकः पी.एम.यू. 1664/124(4)/जे.एन.एन.यू.आर.एम. /2012–13 दिनांक 16 जनवरी, 2014 के अनुसार उक्त योजना की स्वीकृत धनराशि 20736.00 के सापेक्ष तृतीय किश्त की केन्द्राशं व राज्यांश की कुल धनराशि ` 3500.00 लाख की प्राप्त हुई है। जिसे योजना के कार्यहित में कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 05.02.2014 को नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी है।

..... स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–57

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/203/न.आ./पर्या.अभि./13–14 दिनांक 07.02.14 को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर सीवरेज (Construction of 210 Mld treatment plant at Bingawan) हेतु विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–5 उ.प्र. शासन के पत्र संख्या 8392521/नौ–5–2012–55 बजट/2006 टी.सी. दिनांक 31.12.2013 के क्रम निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ.प्र. के पत्रांकः पी.एम.यू. 1664/124(4)/जे.एन.एन.यू.आर.एम. /2012–13 दिनांक 16 जनवरी, 2014 के अनुसार उक्त योजना की स्वीकृत धनराशि 10100.45 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त की केन्द्राशं व राज्यांश की कुल धनराशि 1742.28 लाख की प्राप्त हुई है। जिसे योजना के कार्यहित में कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 05.02.2014 को नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी है।

..... **स्वीकृत प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–58

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/483/न.आ./अ0अ0–6./13–14 दिनांक 31.12.13 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अर्न्तगत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जोन–6 वार्ड 27 सरोजनी नगर के अन्तर्गत सिन्धी कालोनी में गेट नं0–02 (तेक चन्द द्वार) से त्रिलोकी चन्द्र द्वार तथा मं0नं0 122/553 से गेट नं0–5 तक नाली एवं साइड पटरी का सुधार हेतु आगणन धनांक रूपया 20,10,563.00 का बनाया गया है जिसे बजट हेड 5(3) ख से करया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतएव उक्त आगणन धनांक रू0 20,10,563.00 के व्यय की स्वीकृति हेतु मा0 **कार्यकारिणी समिति के माध्यम से नगर निगम सदन से अपेक्षित है।**

..... **स्वीकृत प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–59

वार्ड संख्या 51 जवाहर नगर कमला नेहरू पार्क बरातशाला का नगर निगम अभियन्त्रण विभाग द्वारा जीर्णोद्वार कराया गया है जिसमें विवाह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जनहित में जनसामान्य को किराये पर आवंटन की कार्यवाही की जानी है। अभियन्त्रण विभाग द्वारा प्रस्तुत पैमाइश सहित विवरण दॉयी ओर प्रस्तुत है। जिलाधिकारी सर्किल दरें 2013 के आधार पर प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तावित है।

कमला नेहरू पार्क

1. कुल निर्मित भाग का क्षेत्रफल 173.55 प्रति वर्ग मी0 × रू0 350(किराये की दर प्रति वर्ग मी0) = रू0 60742.5 = × 12 माह = रू0 728922.00
2. खुले भाग का क्षेत्रफल 406.81 × 350 × 50/100 = 71191.75×12 = रू0 854301.00

कुल योग (1+2) = 1583223/365 = रू0 4377.60 प्रतिदिन का किराया

किराया सम्बन्धी अन्य शर्ते निम्नवत् है।

- जमानत धनराशि रू0 2000.00 नगद नगर निगम कानपुर के नाम देय होग जो कि टूट–फुट न होने की दशा में सम्बन्धित पक्ष को वापस कर दिया जायेगा अन्यथा धनरशि जब्त कर ली जायेगी।

ह0.....महापौर

- बिजली का खर्च रू0 2000.00 देय होगा।
- साफ–सफाई का खर्च रू0 500.00 देय होगा।
- किसी भी प्रकार का धूम्रपान व मदिरा का प्रयोग निषेध रहेगा।
- उपरोक्त बरातशाला की बुकिंग इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था अन्य सम्पत्तियों की भॉति सम्पत्ति विभाग, नगर निगम द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

अतः उपरोक्त बरातशाला का किराया निर्धारण मा0 कार्यकारिणी/सदन द्वारा स्वीकृति किया जाना है। बरातशाला का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा बरातशाला के बुकिंग के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने लगे है। अतः स्वीकृति की प्रत्याशा में मा0 महापौर जी के अनुमोदनार्थ आख्या सादर प्रेषित।

..... प्रश्नगत बारातशाला का किराया सर्वप्रथम रू0 5100/– निर्धारित किया जाता है जो समयान्तर्गत पुनः संशोधित भी किया जाय, को स्वीकृत प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–60</u>

<u>प्रस्ताव</u>

वार्ड 65 बरातशाला प्रेम नगर स्कूल गॉधी नगर, नगर निगम अभियन्त्रण विभाग द्वारा जीर्णोद्वार कराया गया है जिसमें विवाह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जनहित में जनसामान्य को किराये पर आवंटन की कार्यवाही की जानी है। अभियन्त्रण विभाग द्वारा प्रस्तुत पैमाइश सहित विवरण दॉयी ओर प्रस्तुत है। जिलाधिकारी सर्किल दरें 2013 के आधार पर प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तावित है।

<u>प्रेम नगर स्कूल गॉधी नगर</u>

कुल निर्मित भाग का क्षेत्रफल 975.95 वर्ग मी0 × 350 = 341582.50 × 12 = 4098990/365 = 11230 प्रतिदिन

<u>किराया सम्बन्धी अन्य शर्ते निम्नवत् है।</u>

- जमानत धनराशि रू0 2000.00 नगद नगर निगम कानपुर के नाम देय होग जो कि टूट–फुट न होने की दशा में सम्बन्धित पक्ष को वापस कर दिया जायेगा अन्यथा धनरशि जब्त कर ली जायेगी।
- बिजली का खर्च रू0 2000.00 देय होगा।
- साफ–सफाई का खर्च रू0 500.00 देय होगा।
- किसी भी प्रकार का धूम्रपान व मदिरा का प्रयोग निषेध रहेगा।
- उपरोक्त बरातशाला की बुकिंग इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था अन्य सम्पत्तियों की भॉति सम्पत्ति विभाग, नगर निगम द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

ह0.....महापौर

अतः उपरोक्त बरातशाला का किराया निर्धारण मा0 कार्यकारिणी/सदन द्वारा स्वीकृति किया जाना है। बरातशाला का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा बरातशाला के बुकिंग के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने लगे है। अतः स्वीकृति की प्रत्याशा में मा0 महापौर जी के अनुमोदनार्थ आख्या सादर प्रेषित।

..... प्रश्नगत बारातशाला का किराया सर्वप्रथम रू0 11000/– निर्धारित किया जाता है जो समयान्तर्गत पुनः संशोधित भी किया जाय, को स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–61

नगर आयुक्त के पत्र संख्या–डी/ 85 /अ0अ0–6 दिनांक 28.05.14 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

विषयः– जोन–6 वार्ड–9 विष्णुपुरी के अन्तर्गत विजय स्मृति गेस्ट हाउस से चिड़ियाघर चौराहे तक सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।

परिवर्तित स्थल

विषयः– जोन–6 वार्ड–9 विष्णुपुरी अन्तर्गत कस्तूरबा चौराहा से डा0 एस0एस0 सिंघल एवं डा0 एस0एस0 भारद्वाज के निवास होते हुये म0न0– 111(ए) तक सड़क नाली, एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।

मा0 पार्षद श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू) के पत्र पर मण्डलायुक्त महोदय एवं मा0 महापौर जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त विषयक कार्य के स्थान पर परिवर्तित स्थल जोन–6 वार्ड–9 विष्णुपुरी अन्तर्गत कस्तूरबा चौराहा से डा0 एस0एस0 सिंघल एवं डा0 एस0एस0 भारद्वाज के निवास होते हुये म0न0– 111(ए) तक सड़क,नाली,एवं फुटपाथ का सुधार कार्य को बजट हेड राज्य वित्त आयोग से कराया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है।

आदेशानुपालन में परिवर्तित स्थल कार्य की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से आगणन रू0 3994308.00 नगर निगम सदन से अपेक्षित है।

सभापति ने कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर निगम के 93 कार्यो के प्रेषित व्ययानुमानों को इस शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की गई है कि कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। उल्लिखित 93 कार्यो में से क्रमांक–82 का कार्य अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा चुका है, उसी अवशेष धनराशि से वर्णित स्थल में कार्य कराये जाने हेतु आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर ने भी पत्र पृष्ठांकित किया है। अतएव स्वीकृत प्रदान की जा सकती है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

ह0.....महापौर

प्रस्ताव संख्या–62

नगर आयुक्त के पत्र सं0 डी/759/अ0अ0–4 दिनांक 20.02.14 को नगर निगम अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

प्रस्ताव

जोन–4 वार्ड 41 के अन्तर्गत हरसहाय स्कूल की रोड के पीछे स्थित नगर निगम की खुली भूमि पर बारातशाला का निर्माण र्का (केवल भूमितल) हेतु मा0 पार्षद श्री आशुतोष त्रिपाठी द्वारा दिये गये पत्र पर मा0 कार्यकारिणी के प्रस्ताव सं0 248 द्वारा विस्तृत आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया है। अनुपालन में उक्त कार्य का आगणन धनांक रू0 24,59,410.00 का बनाया गया है। मा0महापौर जी द्वारा उक्त प्रस्ताव मा0 सदन में प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 11.02.2014 को निर्देशित किया है।

अतः आगणन धनांक रू0 24,59,410.00 की स्वीकृति के साथ साथ अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने हेतु मा0 सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव

अभियंत्रण खण्ड के अन्तर्गत धनांक रू0 30 लाख तक की धनराशि से सुधार कार्य हेतु सडको की सूची

प्रस्ताव सं0	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (मी0 में)**	**धनराशि (लाख में)**

ह0.....महापौर

63	जोन–1 में वार्ड–92 के अन्तर्गत मालरोड से राजस्थान भवन होते हुए बिराहना रोड तक सडक नाली का सुधार कार्य	**700.00**	**29.45**
64	जोन–1 में वार्ड–97 के अन्तर्गत बी.एन शुक्ला पोस्टआफिस से कैनाल रोड तक सडक का सुधार कार्य।	**245.00**	**21.48**
65	जोन–1 में वार्ड–97 के अन्तर्गत तीन मूर्ति चौराहे से लखनऊ फाटक (सरकुलर रोड) तक गली का सुधार	**260.00**	**20.15**
66	जोन–1 में वार्ड–99 के अन्तर्गत सेन्ट्रल बैक से सीसामऊ तिराहे तक सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	**475.00**	**24.56**
67	जोन–1 में वार्ड–102 के अन्तर्गत हालसी रोड से बेरीवल कुआ होते हुए मोती भवन (शक्कर पटटी) तक सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	**350.00**	**25.46**
68	जोन–1 में वार्ड–102 के अन्तर्गत नया गंज चौराहे से मारवाडी स्कूल एवं दवा मार्केट से तिरपाल मार्केट चौराहे तक सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	**610.00**	**25.95**
69	जोन–1 में वार्ड–104 के अन्तर्गत दलेल पुरवा चौराहे से सत्यम सिनेमा तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	**300.00**	**20.86**
70	जोन–1 में वार्ड–106 के अन्तर्गत कोतवाली चौराहे से इन्दिरा मूर्ति तक क्षतिग्रस्त कारीडोर की मरम्मत मा कार्य	**900.00**	**29.81**
71	वार्ड 70 तिवारीपुर के अन्तर्गत सुपर टेनरी से हडडी मिल तिराहा (एस0 टी0 पी0 रोड) तक नाली निर्माण एवं सड़क सुधार कार्य।	**334.00**	**25.46**
72	जोन–2 वार्ड 44 के अन्तर्गत शिव पार्क/हरियाणा दाल मील से दीपक ज्वैलर्स तक एच0एम0पी0 द्वारा सड़क फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	**288.00**	**24.28**
73	जोन–2 वार्ड 19 सनिगवॉ के अर्न्तगत टिकरिया छतमरा गॉव में अशोक कुमार के मकान से ज्ञान सिंह के मकान होते हुये लखनपाल के मकान तक इंटरलॉकिग टाइल्स द्वारा एवं नाली का सुधार कार्य।	**188.00**	**15.51**
74	जोन–2 वार्ड 19 सनिगवॉ के अर्न्तगत टिकरिया छतमरा गॉव में रंजीत के मकान से अशोक कुमार ,अरविन्द कुमार के मकान तक इंटरलॉकिग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	**172.00**	**15.21**
75	जोन–2 वार्ड 71 गॉधीग्राम के अर्न्तगत डा0 लक्षमण सिह के मकान से अनिल किशोर पाण्डेय तक हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	**228.00**	**21.76**

76	जोन–2 वार्ड 19 सनिगवॉ के अन्तर्गत सजारी गॉव में रज्जन पाल के मकान से सियाराम पाल, बंशीलाल एवं मोतीलाल के मकान होतें हुये सिद्धनाथ पाल के मकान तक इंटरलॉकिग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	**204.00**	**17.76**
77	जोन–2 वार्ड 28 एवं 37 के अर्न्तगत जी0टी0 रोड से शिव कटरा तिराहे तक नाली एवं इंटरलॉकिग द्वारा सडक सुधार कार्य।	**495.00**	**29.72**
78	जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर के सी0 ब्लाक में भवन सं0 सी0 448 से भवन सं सी0 512 तक केसी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	**613.00**	**29.92**
79	जोन–2 वार्ड 53 दहेली सुजानपुर मकान नं0 डी/139 से 18 मी0 मोड होते हुये डी/165 तक केसी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	**411.00**	**25.83**
80	जोन–2 वार्ड 77 ई ब्लाक में भवन सं0 एल0 आई0 जी0 415 से विपिन शुक्ला के मकान तक एवं ट्रासफार्मर से मकान नं0 20 तक केसी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार का कार्य।	**328.00**	**18.10**
81	जोन–2 वार्ड 77 के अर्न्तगत केडीए मार्केट में मकान नं0 201–128,105–85,62–41 में इंटरलॉकिग लगाने का कार्य।	**389.00**	**17.46**
82	जोन–2 वार्ड 48 के अर्न्तगत किदवई नगर में धरीपुरवा चौराहे से पोस्ट ऑफिस (बाईपास) तक सडक एवं नाली का निर्माण कार्य।	**245.00**	**16.91**
83	जोन–2 वार्ड 77 के अर्न्तगत म0 नं0 331/332/ई से पी0ए0सी0 दक्षिणी गेट होते हुये चाणक्यपुरी चौराहा तक सडक सुधार कार्य।	**447.00**	**27.25**
84	जोन–2 वार्ड 53 में 200 फिट चौडी रोड पर वीरेन्द्र स्वरूप चौराहे से रामपुरम मोड तक (795 मी0 अनुरक्षण) तक एस0 डी0 सी0 द्वारा सडक सुधार कार्य।	**1344.00**	**19.81**
85	जोन–2 वार्ड 66 जाजमऊ दक्षिणी डिफेन्स कालोनी में जल कल विभाग के सामने भवन सं0 डी 490 से भवनं सं0 डी 1,डी468 होते हुये डी 478 तक केसी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	**444.00**	**24.19**
86	जोन–2 वार्ड 53 दहेजी सुजानपुर में नेशनल हाइवे से सिद्धनाथ चौराहे होते हुये एस–223 तक हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक का सुधार कार्य।	**548.00**	**29.67**
87	जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर के अर्न्तगत बी0 ब्लाक में भवन सं0 बी0 68 से बी0 137 तक के0 सी0 नाली का निर्माण एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	**304.00**	**20.87**
88	जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर ई ब्लाक में एच0 आई0 जी0 49 से एच0आई0जी0 99 तक एवं एच0आई0जी0 46 से ई–66 तक केसी नाली एवं इंटरलॉकिग द्वारा सडक सुधार कार्य।	**260.00**	**20.28**

89	जोन–2 वार्ड 53 दहेली सुजानपुर मे ई–413 से ई–408 तक ई–38 से ई–395 तक एवं ई–2/250 से भवन सं0 1061 के सामने तक केसी नाली एवं इंटरलॉकिग का कार्य	**539.00**	**26.09**
90	जोन–2 वार्ड 29 सफीपुर के अर्न्तगत एयरफोर्स मेन रोड(धाऊखेडा) से बाबा पी0सी0ओ0 होते हुये शंकर पाण्डेय के मकान तक इंटरलॉकिग द्वारा सडक सुधार कार्य।	**300.00**	**21.61**
91	जोन–2 वार्ड 29 सफीपुर के अर्न्तगत बीबीपुर रेलवे लाइन चौराहा से छोटे लाल के मकान(एयरफोर्स बाउन्ड्री) तक इंटरलॉकिग द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	**309.00**	**20.54**
92	जोन–2 वार्ड 28 के अर्न्तगत राजकुमार प्रजापति के मकान सं भवन सं0 2/1 डी से नेताजी नगर में इंटरलॉकिग लगाने का कार्य।	**358.00**	**16.38**
93	जोन–2 वार्ड 70 तिवारीपुर के अर्न्तगत वाजिदपुर में सिद्धादेवी मंदिर रोड पर नदीम टेनरी से वाजिदपुर पुलिया तक रोड का निर्माण कार्य।	**459.00**	**24.05**
94	जोन–2 वार्ड 70 तिवारीपुर के ताड बगिया में ए0 के0 सिह के मकान से भरत लाल वर्मा के मकान से मूलचन्द्र के मकान बब्लू पं0 के मकान होते हुये त्रिलोकी ज्वैलर्स होते हुये सी0के0झा के मकान तक नाली मरम्मत एवं सडक का सुधार कार्य।	**432.00**	**22.25**
95	जोन–2 वार्ड 86 के अर्न्तगत हिन्दुस्तान कम्पाउन्ड जाजमऊ की आंतरिक गलियों का इंटरलॉकिग टाइल्स एवं नाली द्वारा सुधार कार्य।	**332.00**	**17.33**
96	जोन–2 वार्ड 10 चकेरी के ग्रम नरायण पुरवा में हरिलाल के मकान से रामराज के मकान तक नाली एवं सडक का निर्माण कार्य।	**307.00**	**20.58**
97	जोन–2 वार्ड 86 जाजमऊ उत्तरी के अर्न्तगत 88/74 हिन्दुस्तान कम्पाउड में एक्मे टेनरी से श्री साबिर हुसैन के मकान नं0 67 होते हुये अशफाक के मकान/मोहमदिया मस्जिद तक नाली एवं सडक निर्माण कार्य।	**281.00**	**18.82**
98	जोन–2 वार्ड 28 के अर्न्तगत कृष्णा नगर गेट से कृष्णा नगर चौराहा होते हुये सडक एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	**259.00**	**29.69**
99	जोन–2 वार्ड 28 के अर्न्तगत म0 नं0 एस0 8 ए मनोज होटल तक सडक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	**347.00**	**22.37**
100	जोन–2 वार्ड 95 के अर्न्तगत सुजातगंज सीओडी रोड पर शहशाह फर्नीचर से केशा हाउस तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	**658.00**	**29.75**
101	जोन–2 वार्ड 66 में सामुदायिक केन्द्र/शेल्टर होम से म0 नं0 डी 217 से डी 278 एवं डी 233 व डी 121 केएण्ड सी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	**364.00**	**23.96**

ह0.....महापौर

102	जोन–3 वार्ड 55 के अन्तर्गत किदवई नगर स्थित के0 ब्लाक में दुर्गा मन्दिर से अलन्कार गेस्ट हाउस चौराहे तक सडक, व फुटपाथ का सुधार कार्य।	**306.00**	**15.38**
103	जोन–3 वार्ड 55 के अन्तर्गत किदवई नगर स्थित म0न0–128/413 से म0न0–128/408 एवं 128/386 से 128/379 तक सडक, नाली व फुटपाथ का सुधार कार्य।	**230.00**	**25.82**
104	जोन–3 वार्ड 81 के अन्तर्गत आई ब्लाक पुलिया से एच0 ब्लाक तिराहे तक की मुख्य सडक का सडक का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा,एवं साइड पटरी का इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा तथा नाली का सुधार कार्य।	**305.00**	**28.53**
105	जोन–3 वार्ड 25 के अन्तर्गत करपात्री नगर में म0न0–127/219 विद्यावती के मकान से राहुल के मकान होते हुये घनशम गुप्ता से हमीरपुर रोड तक नाली ,साइड पटरी एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक का सुधार कार्य।	**160.00**	**17.19**
106	जोन–3 वार्ड 58 के अन्तर्गत नौबस्ता थानें के पीछे से म0न0–23 से म0न0–389 डब्लू–2 तक नाली एवं सडक का सुधार कार्य।	**150.00**	**20.62**
107	जोन–3 वार्ड 83 के अन्तर्गत गडरियन पुरवा गॉव में म0न0–1 व भगवान पाल के मकान से म0न0–3 श्याम लाल पाल के समीप तक नाली क्रासिंग एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक का सुधार कार्य।	**146.00**	**13.23**
108	जोन–3 वार्ड 25 के अन्तर्गत बारादेवी में म0न0–127/414 से 127/435 तक नाली एवं सडक का सुधार कार्य।	**151.00**	**14.08**
109	जोन–3 वार्ड 58 के अन्तर्गत बसन्त विहार में म0न0–941 से 948 राम बिलास दीक्षित के मकान के समीप तक नाली एवं साइड पटरी एवं हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक, का सुधार कार्य।	**207.00**	**26.81**
110	जोन–3 वार्ड 12 के अन्तर्गत आनन्द पुरी में आशा मेडिकल स्टोर से म0न0–80 तक हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	**201.00**	**21.32**
111	जोन–3 वार्ड 54 के अन्तर्गत नया सेन्टर चौराहे से चन्द्र पाल होटल तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक,एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा साइड पटरी तथा नाली का सुधार कार्य।	**107.50**	**14.89**
112	जोन 05 वार्ड 62 बर्रा–8 बाई पास पेट्रोल पम्प से सांई बिल्डिंग तक सड़क का सुधार कार्य।	**450.00**	**24.96**
113	जोन 05 वार्ड 17 सरायमीता में बदुआ पुर गांव में आन्तिरिक सड़क का सुधार कार्य।	**350.00**	**23.84**
114	जोन 05 वार्ड 38 हनी बैटरी मकान नं0 123/305 से 123/297 बैटरी लाइन रोड़ गड़रियन पुरवा सड़क का सुधार कार्य।	**250.00**	**15.96**

ह0.....महापौर

115	जोन 05 वार्ड 74 बर्रा 07 बी ब्लाक में ई–100 के पास से बाई पास तक की सड़क का सुधार कार्य।	**250.00**	**24.68**
116	जोन 05 वार्ड 56 रतनलाल नगर में मकान नं0 1115 से अशोक अंशवानी के मकान तक सड़क का सुधार कार्य।	**300.00**	**24.75**
117	जोन 05 वार्ड 62 बर्रा 08 डी ब्लाक ओरियन्टल बैंक के पास सड़क का सुधार कार्य।	**250.00**	**20.33**
118	जोन 05 वार्ड 73 बर्रा 05 कृष्णा स्वीट हाउस से 80 फिट रोड तक सड़क का सुधार कार्य।	**210.00**	**20.99**
119	जोन–6 वार्ड–9 विष्णुपरी अन्तर्गत म0न0–3/75 से म0न0–3/111 ए तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	**210.00**	**26.22**
120	जोन–6 वार्ड–34 सर्वोदय नगर के अन्तर्गत श्री विनोद तिवारी के मकान से तपस्या अपार्टमेन्ट तक सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	**190.00**	**23.09**
121	जोन–6 वार्ड–45 नवाबगंज अन्तर्गत श्री संजीव बंसल के घर से डी0पी0एस0 इण्टर कालेज होते हुऐ छममीलाल के घर तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	**450.00**	**17.83**
122	जोन–6 वार्ड–45 नवाबगंज अन्तर्गत ऋतिक इलेक्ट्रनिक्स से वशिष्ठ हलवाई एवं आर0बी0आर0डी0 स्कूल तक रोड का सुधार कार्य।	**500.00**	**24.41**
123	जोन–6 वार्ड–46 विनायकपुर के अन्तर्गत माउन्ट कॉरमाल स्कूल रोड से नन्दरानी गेस्ट हाउस तक नाली सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	**210.00**	**26.19**
124	जोन–6 वार्ड–46 विनायकपुर के अन्तर्गत सत्यम बिहार में एसा0पी0 ई0सी स्कूल गेट एच–17 से एच–35 मातृ प्रेरणा तक नाली फुटपाथ एवं सड़क का सुधार कार्य।	**201.00**	**25.04**
125	जोन–6 वार्ड–46 विनायकपुर के अन्तर्गत आवास विकास सं0–1 केलाश बिहार मे स्टेट बैक ऑफ इण्डिया से एम0आई0जी0 –212 पुष्पांजली तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	**172.00**	**22.98**
126	जोन–6 वार्ड–61 लाजपत नगर के अन्तर्गत शिवाली नगर में म0न0–120/564 से म0न0–120/526 व 120/513 व 120/508 तक आन्तरिक व सड़को का सुधार कार्य।	**562.00**	**22.90**
127	जोन–6 वार्ड–61 लाजपत नगर के अन्तर्गत शिवाजी नगर की आन्तरिक गलियों में साइड पटरी तथा नाली का सुधार कार्य।	**1086.00**	**26.30**

ह0.....महापौर

128	**जोन–6 वार्ड–61 लाजपत नगर के अन्तर्गत लाजपत नगर में म0न0–120/382 से जे0के0 मन्दिर नहरिका रोड तक, मनोज फास्ट फूड कार्नर से नहरिका रोड तथा अपार्टमेन्ट के पास टूटी सडक में नाली,साइड पटरी तथा सडक सुधार कार्य।**	**310.00**	**28.21**
	योग	23941.5	1485.68

..... शासन के निर्देशों के क्रम में प्रस्ताव संख्या–63 से प्रस्ताव संख्या–128 तक के कार्यो को स्वीकृत प्रदान की गई।

सभापति ने कहा कि यदि किसी सदस्य की चर्चा के दौरान कोई समस्या रह गई हो तो पत्र लिखकर मुझसे सम्पर्क कर सूचना प्राप्त कर सकते है साथ ही आज दिनांक–19.07.2014 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की पुष्टि हेतु सभी सदस्यों से अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

..... सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक–19.07.2014 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही पुष्टि की गई।

अन्त में राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन हुआ।

ह0....

(जगत वीर सिंह द्रोण)

महापौर/अध्यक्ष

ह0.....महापौर